अध्याय 18

आयोग/परिषद् /अधिकरण

इस अध्याय में आप सीखेंगे कि:

- भारत के प्रमुख संवैधानिक, वैधानिक आयोग, परिषद और अधिकरण के गठन के पीछे सरकार की मंशा क्या है और इन संगठनों की भमिका और महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
- इन संगठनों की संवैधानिक स्थिति, कार्यप्रणाली और इनकी आवश्यकता के बारे में सविस्तारपूर्वक जानकारी कैसे प्राप्त की जाए।
- भारत के इन सभी संगठनों द्वारा की गयी नवीन पहलों, प्रयासों और इनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त की जाए।

राजभाषा आयोग के परिचय (Introduction to Official Languages in Commission)

संविधान के अनुच्छेद-344 के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों के संदर्भ में सलाह देने के लिए एक आयोग और एक समिति की नियुक्ति का उपबंध है। राजभाषा आयोग का गठन संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और उसके बाद प्रत्येक दस वर्ष की समाप्ति पर करने की व्यवस्था है। इस आयोग का गठन एक अध्यक्ष तथा 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करे वाले ऐसे सदस्यों को मिलाकर किया जाएगा, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।

आयोग का यह कर्त्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को निम्नलिखित विषयों के संदर्भ में सिफारिश करे:

- संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग।
- संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधन।
- उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा।
- प्रयोग किए जाने वाले अंकों का रूप।
- संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा।

आयोग से यह अपेक्षा की गई कि वह भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा। अयोग की सिफारिशों पर संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा विचार किया जाएगा, जिनमें 20 सदस्य लोकसभा के होंगे और 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे। अनुच्छेद 349 के अनुसार भाषा संबंधी किसी विधेयक या संशोधन की अनुमति तभी दी जाएगी जब इस समिति की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति विचार कर लें।

प्रथम राजभाषा आयोग का गठन, 1955

सर्वप्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया। बी. जी. खेर उस समय राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने 1956 में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी। संयुक्त संसदीय समिति द्वारा रिपोर्ट पर विचर करने के उपरांत राष्ट्रपति ने 27 अप्रैल, 1969 को एक आदेश जारी किया, जो इस प्रकार है:

- वैज्ञानिक, प्रशासनिक एवं कानूनी साहित्य संबंधी हिंदी शब्दावली तैयार करने के लिए तथा अंग्रेज़ी कृतियों का हिंदी में अनुवाद करने के लिए एक स्थायी आयोग का गठन किया जाए।

- संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के माध्यम के रूप में अंग्रेज़ी का प्रयोग चलता रहे और बाद में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिंदी का प्रचलन प्रारंभ किया जाए।
- संसदीय विधान कार्य अंग्रेज़ी में चलता रहेगा किंतु इसके प्रामाणिक हिंदी अनुवाद की व्यवस्था की जाए।

राजभाषा अधिनियम, 1963

संविधान के अनुच्छेद-343 के खण्ड (3) तथा प्रथम राजभाषा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार संसद द्वारा राजभाषा अधिनियम, 1963 बनाया गया। इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार हैं:

- संघ के राजकीय प्रयोजनों तथा संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेज़ी 15 वर्ष के बाद भी जारी रहेगी।
- केन्द्रीय अधिनियमों, राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित राजपत्रों आदि का हिंदी अनुवाद उसका हिंदी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।
- राज्य सरकार के अधिनियमों तथा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों का हिंदी में अनुवाद हिंदी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।
- उच्च न्यायालयों के निर्णयों आदि के बारे में अधिनियम का प्रावधान है कि हिंदी या किसी अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग किया जा सकता है, यदि राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति प्राप्त कर ले और निर्णय आदि के साथ उसका अंग्रेज़ी अनुवाद भी हो।
- संघ तथा अहिंदी भाषी राज्यों के बीच पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी का ही प्रयोग होगा और यदि हिंदी तथा अहिंदी भाषी राज्यों के बीच पत्रादि के लिए हिंदी का प्रयोग किया जाये तो ऐसे पत्रादि के साथ उसका अंग्रेज़ी अनुवाद भी होना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि कुछ विशेष कार्यों यथा— प्रस्ताव, सामान्य आदेश, अधिसूचना, नियम, प्रेस विज्ञप्ति, प्रशासकीय रिपोर्ट, लाइसेंस, परमिट एवं समझौते इत्यादि में हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों का प्रयोग अनिवार्य होगा।

प्राधिकृत पाठ (केन्द्रीय विधि) अधिनियम, 1973

संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया संविधान अंग्रेज़ी में था। संविधान सभा के अध्यक्ष ने अपने प्राधिकार से उसका हिंदी अनुवाद तैयार कराया था। संविधान सभा के सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर भी किये थे। वर्ष 1973 में संसद द्वारा प्राधिकृत पाठ (केन्द्रीय विधि) अधिनियम, 1973 बनाकर यह उपबंध किया गया कि जब किसी केन्द्रीय विधि का (हिंदी से भिन्न) किसी भाषा में अनुवाद, राष्ट्रपति के प्राधिकार से भारतीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है तो वह उस भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। संविधान के अनुवाद को अद्यतन करके उसे प्राधिकृत पाठ घोषित करने के लिए 58वें संशोधन अधिनियम, 1987 द्वारा संविधान के अनुच्छेद-394ए में अंतः स्थापित किया गया है। अनुच्छेद-394ए के खण्ड (2) के अनुसार उस हिंदी पाठ का वही अर्थ लगाया जाएगा जो अंग्रेज़ी के मूल पाठ में विहित है। यदि अर्थ लगाने में कोई असुविधा उत्पन्न होगी तो राष्ट्रपति उपर्युक्त पुनरीक्षण कराएंगे।

स्थायी आयोग

राजभाषा आयोग ने शब्दावली के विकास के लिए दो स्थायी आयोगों की नियुक्ति की सिफारिश की थी। उपर्युक्त सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिए राष्ट्रपति ने 27 अप्रैल, 1960 को आदेश जारी किया।

वर्ष 1961 में दो स्थायी आयोगों की स्थापना की गई और समय-समय पर इनका पुनर्गठन भी किया जाता रहा है। विधि शब्दावली के विकास और केन्द्रीय अधिनियमों के हिंदी और अन्य भाषाओं में प्राधिकृत पाठ के प्रकाशन के लिए गठित आयोग को राजभाषा (विधायी) आयोग नाम दिया गया था। वर्ष 1976 में राजभाषा (विधायी) आयोग को समाप्त कर दिया गया, अब दूसरा आयोग, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है।

राजभाषा पर संयुक्त संसदीय समिति

संविधान के अनु. 344(4) के तहत एक 30 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति के गठन का प्रावधान है। इसमें लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्यों को शामिल किया जाता है। सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। संसदीय समिति का यह कर्त्तव्य है कि वह राजभाषा आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को अपनी राय प्रतिवेदित करे। राष्ट्रपति ऐसी सिफारिशों को क्रियान्वित कराने के लिए यथोचित निर्देश दे सकेगा।

ध्यातव्य है कि राजभाषा पर प्रथम संयुक्त संसदीय समिति का गठन नवम्बर, 1957 में श्री गोविन्द बल्लभ पंत (जीबीपंत) की अध्यक्षता में किया गया था। पंत समिति ने फरवरी 1959 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

प्रादेशिक भाषाएँ

प्रादेशक भाषाओं से तात्पर्य राज्यों की राजभाषाओं से है। राज्यों की राजभाषाओं के बारे में प्रावधान अनु. 345 में दिया गया है। अनु. 345 राज्यों को अपनी प्रादेशिक राजभाषा स्वयं चुनने का अधिकार प्रदान करता है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि किसी राज्य का विधानमंडल, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिन्दी को उस राज्य की सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में स्वीकार कर सकेगा।

परंतु जब तक राज्य विधानमण्डल किसी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं करता है तब तक शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी का प्रयोग जारी रहेगा।

उल्लेखनीय है कि संघ की राजभाषा हिन्दी इस समय 9 राज्यों यथा- उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड, राजस्थान, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश तथा केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली की भी राजभाषा है। इनके अतिरिक्त, अहिन्दी भाषी राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात व पंजाब एवं

केन्द्रशासित प्रदेशों में चंडीगढ़ व अण्डमान निकोबार की सरकरों ने हिन्दी को द्वितीय राजभाषा घोषित कर रखा है। ज्ञातव्य है कि मेघालय, मिजोरम तथा नागालैण्ड की राजभाषा अंग्रेज़ी है।

पत्रादि की राजभाषा

संघ और किसी राज्य के मध्य अथवा दो राज्यों के बीच पत्र व्यवहार किस भाषा में किया जायेगा, इसके बारे में उपबन्ध अनु. 346 में दिया गया है। इसके अनुसार संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत भाषा ही एक राज्य और दूसरे राज्य या संघ और राज्य के बीच पत्रादि की भाषा होगी। परंतु, दो या अधिक राज्य आप में राजभाषा हिन्दी को पत्रादि की भाषा स्वीकार कर सकते हैं। ध्यातव्य है कि वर्तमान में हिन्दी तथा अंग्रेज़ी दोनों का प्रयोग संघ के शासकीय प्रयोजनों हेतु जारी है।

राजभाषा के लिए राष्ट्रपति द्वारा निदेश

अनु. 347 के तहत राष्ट्रपति को राजभाषा के बारे में राज्यों को निदेश देने की शक्ति दी गई है। इसके अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग अपने द्वारा बोली जाने वली किसी भाषा को राज्य द्वारा मान्यता प्रदान कराना चाहती है तो वह निदेश दे सकता है कि उस भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या किसी भाग में शासकीय मान्यता दी जाए। इस प्रकार यह उपबंध किसी राज्य की जनता को अपनी भाषा को शासकीय भाषा का दर्जा दिलाने का अधिकार प्रदान करता है।

उच्चतम, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा

अनु. 348 के तहत उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों तथा संसद व राज्य विधानमण्डलों के सदनों में विधेयकों, अधिनियमों तथा अध्यादेशों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधी प्रावधान दिया गया है। इसके अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित न करे, तब तक:

1. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेज़ी भाषा में होंगी, तथा
2. (क) संसद व राज्य विधानमण्डलों में प्रस्तुत विधायकों या प्रस्तावित संशोधनों, (ख) इनके द्वारा पारित सभी अधिनियमों, (ग) राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी सभी अध्यादेशों तथा (घ) संसद व राज्य विधानमण्डलों द्वारा बनाई गई विधियों के अधीन निर्मित सभी, नियमों, विनियमों और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेज़ी भाषा में होंगे।

किंतु किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उस राज्य के उच्च न्यायालय में हिन्दी भाषा का अथवा उस राज्य की शासकीय भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा, परंतु ऐसा आदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि यह संविधान पर लागू नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि यदि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष के भीतर उक्त प्रयोजनों के लिए किसी अन्य भाषा का उपबन्ध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होगी और राष्ट्रपति ऐसी अनुमति अनु. 344 के तहत गठित राजभाषा आयोग और संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिश पर ही देगा।

विशेष निदेश (Special Instuctions)

व्यथा निवारण के लिए भाषा

अनु. 350 एक महत्त्वपूर्ण अधिकार प्रदान करता है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति (नागरिक या अनागरिक) अपनी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में आवेदन दे सकता है। अत: किसी आवेदन को केवल इस आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह राजभाषा में नहीं है।

मातृभाषा में शिक्षा

अनु. 350क के तहत 'भाषायी अल्पसंख्यक-वर्गों' के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान 7वें संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा जोड़ा गया है। इसके तहत प्रत्येक राज्य और उसके स्थानीय प्राधिकारियों का यह दायित्व है कि वह भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था का प्रयास करेगा। राष्ट्रपति इन सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को आवश्यक आदेश भी दे सकता है।

भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त

संविधान के अनुच्छेद 350ख के तहत भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक आयुक्त नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान भी 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा किया गया है। भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। उसका प्रमुख कर्त्तव्य भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के रक्षोपायों से सम्बन्धित विषयों का अन्वेषण कर राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देता है। राष्ट्रपति इन प्रतिवेदनों को संसद के समक्ष रखवाता है और सम्बन्धित राज्य सरकारों को भिजवाता है।

हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश

संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत संघ को हिन्दी भाषा के विकास और प्रसार के लिए आदेश दिया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार संघ सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह हिन्दी भाषा के विकास और प्रसार के लिए समुचित प्रयास करे, ताकि भारत में राजभाषा हिन्दी के ऐसे स्वरूप का विकास हो, जो समूचे देश में प्रयुक्त हो सके और जो भारत की सामाजिक संस्कृति (मिली-जुली संस्कृति) की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। इसके साथ ही संघ का यह भी कर्त्तव्य है कि हिन्दी में हिन्दुस्तानी और 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त अन्य भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त रूप, पद और शैली को अपनाते हुए तथा शब्द भण्डार के लिए मुख्यत: संस्कृत और गौणत: अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

भाषा सम्बन्धी अन्य उपबंध (Other Provisions Related to Language)

संविधान में भाषा विषयक उपबन्ध भाग-17 के अतिरिक्त अनुसूची.8 तथा अनुच्छेद 29, 30, 120 व 210 में भी दिये गये हैं। जो इस प्रकार हैं:

8वीं अनुसूची

वर्तमान में 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। इस अनुसूची में आरम्भ में कुल 14 भाषाएँ थीं। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ध्यातव्य है कि अंग्रेज़ी संधा की सहायक राजभाषा मेघालय, मिजोरम तथा नागालैण्ड की राजभाषा है, किंतु 8वीं अनुसूची में तहत शामिल नहीं है। इसी प्रकार प्रमुख प्रादेशिक भाषा राजस्थानी व भोजपुरी को भी इसमें स्थान नहीं दिया गया है।

भाषा, लिपि आदि का संरक्षण

अनुच्छेद 29 के तहत भारत के नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। साथ ही यह प्रावधान भी किया गया है, कि राज्य द्वारा घोषित या सहायता प्राप्त किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जायेगा।

शिक्षण संस्थाओं की स्थापना

अनुच्छेद 30 के तहत धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रूचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है तथा यह प्रावधान किया गया है कि ऐसी शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में राज्य द्वारा धर्म या भाषा के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा।

संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा

अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद का कार्य हिन्दी में या अंग्रेज़ी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति लोकसभाध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति किसी सदस्य को, जो हिन्दी या अंग्रेज़ी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है।

राज्य विधानमण्डलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा

राज्यों के विधानमंडलों का कार्य अपने-अपने राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिन्दी में या अंग्रेज़ी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति विधानसभा अध्यक्ष या विधानपरिषद् का सभापति किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे तो 15 वर्ष की अवधि के पश्चात् या अंग्रेज़ी में शब्दों का लोप किया जा सकेगा।

राजभाषा से संबोधित विभिन्न पहलू

- **अनुच्छेद-345**—किसी राज्य को अपनी प्रादेशिक राजभाषा चुनने का अधिकार प्रदान करता है। इसमें यह प्रावधान है कि किसी राज्य का विधानमण्डल, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिन्दी को उस राज्य की सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में अंगीकार कर सकेगा।
- **अनुच्छेद-346**—दो राज्यों के बीच पत्रादि की भाषा के प्रश्न का समाधान प्रस्तुत करता है। इसके अनुसार, संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत भाषा ही एक राज्य और दूसरे राज्य या संघ और राज्य के बीच पत्रादि की भाषा होगी। परंतु, दो या अधिक राज्य आपस में करार कर राजभाषा हिंदी को पत्रादि की भाषा स्वीकार कर सकते हैं।
- **अनुच्छेद-347**—किसी राज्य की जनता को शासकीय भाषा चुनने का सीमित अधिकार प्रदान करता है। इसके अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता प्रदान करना चाहता है तो वह निर्देश दे सकता है कि उस भाषा को राज्य में सर्वत्रा या उसके किसी भाग में शासकीय मान्यता दी जाए।
- **अनुच्छेद-350**—इसमें यह प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति (नागरिक या अनागरिक) अपनी समस्याओं के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में आवेदन दे सकता है। उस आवेदन को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह राजभाषा में नहीं है।
- **अनुच्छेद-350(क)**—प्रत्येक राज्य और उसके स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था का प्रयोग करेगा। राष्ट्रपति इस संबंध में राज्यों को आवश्यक निर्देश भी दे सकता है।
- **अनुच्छेद-351**—इस अनुच्छेद के अनुसार संघ का यह कर्त्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए तथा उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामाजिक (मिलीजुली) संस्कृति के सभी तत्त्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। हिंदी की प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्य भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करना, संस्कृत और अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण कर हिंदी के शब्द भंडार बढ़ाना तथा हिंदी की समृद्धि सुनिश्चित करना भी संघ का कर्त्तव्य होगा।
- **अनुच्छेद-29**—भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग में रहने वाले नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। साथ ही, राज्य द्वारा पोषित या सहायता प्राप्त किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इतने से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।

- **अनुच्छेद-30**—धर्म या भाषा पर आधारित, सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रूचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। ऐसी शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में धर्म या भाषा के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा।
- **अनुच्छेद-394क**—58वाँ संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 394क जोड़कर संविधान का हिंदी भाषा में प्राधिकृत अनुवाद का उपबंध किया गया। साथ ही अंग्रेजी भाषा में किए गए संविधान के प्रत्येक संशोधनों को हिंदी भाषा में अनुवादित करने का प्रावधान किया गया है। परंतु ऐसे अनुवाद का वही अर्थ लगाया जाएगा, जो उसके मूल का है और अनुवाद में उत्पन्न किसी कठिनाई का पुनरीक्षण राष्ट्रपति कर सकता है।

विशेष तथ्य

- 1961 में दो स्थायी-राजभाषा आयोग का गठन किया गया लेकिन 1976 में स्थायी राजभाषा आयोग को समाप्त कर दिया गया।
- संविधान के भाग 17, अनुच्छेद 343 से 351 तक में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिये गये हैं।
- 1963 में संसद ने राजभाषा अधिनियम पारित करके यह प्रावधान कर दिया है कि राजभाषा के रूप में हिन्दी के अलावा अंग्रेज़ी का प्रयोग होता रहेगा।
- संविधान के अनु. 344 में यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के आरम्भ के 5 वर्षों के बाद और उसके हर 10 वर्ष बाद राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग गठित किया जाएगा, जिसे राजभाषा आयोग कहा जाएगा।
- राजभाषा आयोग में एक अध्यक्ष तथा 8वीं अनुसूची के विभिन्न भाषाओं के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए एक संसदीय समिति के गठन का भी प्रावधान है, जिसमें लोकसभा के 20 और राज्य सभा के 10 सदस्य सम्मिलित होते हैं। समिति राजभाषा आयोग के सिफारिशों का परीक्षण करती है तथा राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देती है।
- प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में बी.जी. खरे की अध्यक्षता में किया गया।
- अनुच्छेद 351 के अंतर्गत संघ को हिन्दी भाषा के विकास और उसके प्रचार का दायित्व सौंपा गया है।
- अनुच्छेद 350(क) प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने का उपबन्ध किया गया है।

लोक सेवाएं एवं लोक सेवा आयोग (Public Services and Public Service Commission)

संविधान का अनुच्छेद 315 यह प्रतिपादित करता है कि संघ के लिए एक लोकसेवा आयोग होगा। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में एक लोकसेवा आयोग और राज्यों के समूह के लिए संयुक्त सेवा आयोग काम करेगा। संयुक्त लोकसेवा आयोग की स्थापना का दायित्व संबद्ध राज्य विधानमण्डलों पर होगा जो इस उद्देश्य से एक प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। इसके बाद

तालिका 18.1: संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष

नाम	कार्यकाल	नाम	कार्यकाल
1. सर रोज बार्कर	1926–1932	2. सर डेविड पेट्री	1932–1936
3. सर आयर गार्डन	1937–1942	4. सर एफ. डब्लू राबर्टसन	1942–1947
5. एच. के. कृपलानी	1947–1949	6. आर. एन. बनर्जी	1949–1955
7. एन. गोविंदराजन	10 मई 1955–9 दिसंबर 1955	8. वी. एस. हेजमाड़ी	1955–1961
9. बी. एन. झा	1961–1967	10. के. आर. दामले	1967–1971
11. आर. सी. एस. सरकार	1971–1973	12. डा. ए. आर. किदवई	1973–1979
13. डा. एम. एल. सहारे	1979–1985	14. एच. के. एल. कपूर	1985–1990
15. जे. पी. गुप्ता	1990–1992	16, श्रीमति आर. एम. बैथ्यू (खुरबलि)	1992–1996
17. एस. जे. एस. छतवाल	1996–1996	18. जे. एम. कुरैशी	1996–1998
19. ले. जन. (सेवानिवृत्त) सुरेंद्र नाथ	1998–2002	20. पी. सी. होता	2002–2003
21. माता प्रसाद	2003–2005	22. डॉ. एस. आर. हाशिम	2005–2006
23. गुरबचन जगत	2006–2007	24. सुबीर दत्ता	2007–2008
25. डी. पी. अग्रवाल	2008–2014	26. रजनी राजदान	2014–2014
27. दीपक गुप्ता	2014–2016	28. श्रीमती अल्का सिरोही	2016–2017
29. प्रो. डेविड आर. सेम्लिह	2017 से अबतक		

इस प्रस्ताव को संसद की स्वीकृति प्राप्त होगी। राष्ट्रपति की स्वीकृति से संघ लोकसेवा आयोग भी किसी राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वहां कार्यरत हो सकता है, यदि राज्य का राज्यपाल ऐसा कोई अनुरोध करता है।

आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तें निश्चित होती हैं और इनका निर्धारण (क) संघ या संयुक्त लोकसेवा आयोग के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति द्वारा होता है—और (ख) राज्य लोक सेवा आयोग के परिप्रेक्ष्य में राज्य के राज्यपाल द्वारा होता है। वर्तमान में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष दीपक गुप्ता हैं।

लोक सेवाओं के प्रकार

संविधान देश में लोक सेवाओं को तीन प्रमुख कोटियों में बांटता है:

- **अखिल भारतीय सेवाएं**—ये केन्द्र और राज्यों में समान रूप से विद्यमान हैं और उनके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवाएं (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवाएं (आईपीएस) और भारतीय वन सेवाएं (आईएफएस) हैं। राज्य सभा दो तिहाई बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर नई अखिल भारतीय सेवा का सूत्रापात कर सकती है।
- **केन्द्रीय सेवाएं**—ये संघीय सूची में उल्लिखित विषयों के सुचारू क्रियान्वयन से संबद्ध हैं और उन्हें समूह ए, बी, सी और डी सेवाओं के रूप में चार कोटियों में बांटा गया है। इस समूह में 50 केन्द्रीय लोक सेवाएं हैं। 'ए' के अंतर्गत भारतीय विदेश सेवा, भारतीय लेखा और गणना सेवाएं, भारतीय रक्षा सेवा, भारतीय डाक सेवा, भारतीय आर्थिक सेवाएं आदि आती हैं। समूह 'ए' और 'बी' की सेवाओं के लिए बहाली केन्द्रीय लोक सेवा आयोग द्वारा और समूह 'सी' के लिए बहाली कर्मचारी चयन आयोग द्वारा होती है।
- **राज्य सेवाएं**—इनमें वे सेवाएं और पद शामिल हैं जो कृषि, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, नियोजन, पुलिस आदि जैसे राज्य स्तर के विषयों पर सुचारू ढंग से कार्य करने की प्रक्रिया से संबद्ध हैं। राज्य स्तर की सेवाओं को वर्ग 1, 2, 3 और 4 इन चार वर्गों में विभाजित किया गया है। वर्ग 1 और 2 की सेवाओं में संबद्ध अधिकारी राजपत्रित होते हैं। पर वर्ग 3 के अंतर्गत किरानी और वर्ग 4 के अंतर्गत चपरासी, अर्दली आते हैं।

लोक सेवा आयोग के कार्य

- संघ और राज्य लोक सेवा का प्रमुख कार्य संघ और राज्य की सेवाओं में नियुक्त के लिए परिक्षाओं का आयोजन करना है। सीधी भर्ती के लिए आयोग द्वारा साक्षात्कारों का भी आयोजन किया जाता है।
- संघ लोकसेवा आयोग और राज्य लोकसेवा आयोग क्रमश: राष्ट्रपति और राज्यपाल को उन विषयों पर परामर्श देते हैं जिन पर वे परामर्श लेना चाहें।
- संघ और राज्य की सेवाओं में संघ/राज्य लोकसेवा आयोग द्वारा ऐसे अतिरिक्त कार्य भी किये जाते हैं जिनका संसद या राज्य विधायिका द्वारा निर्मित विधियों में प्रावधान है।
- यदि दो या दो से अधिक राज्य संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध करते हैं तो वह उन राज्यों की संयुक्त भर्ती के लिए योजना बनाने तथा उसे लागू करने में सहायता कर सकता है।
- राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग से और राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग से कुछ विषयों पर भी परामर्श ले सकते हैं, जैसे- लोक सेवाओं में भर्ती की विभिन्न पद्धतियों से सम्बन्धित मामलों पर लोक सेवाओं के पदों पर नियुक्त करने तथा एक सेवा से दूसरे में स्थानांतरण अथवा पदोन्नति करने के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धांतों और उम्मीदवारों की उपयुक्तता पर।
- संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपने कार्यों का विवरण राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है जिनमें उन मामलों का उल्लेख रहता है जिन पर सरकार ने कोई परामर्श नहीं लिया है अथवा आयोग के परामर्श को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है।
- आयोग के विवरण को संसद के पटल पर रखा जाता है और सरकार को संसद के सामने यह स्पष्ट करना होता है कि किसी कारण से आयोग की सलाह नहीं ली गयी या आयोग ने यदि सलाह दी थी तो स्वीकार क्यों नहीं की गयी।
- राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का विवरण प्रतिवर्ष राज्यपाल को देता है, जिसमें यह उल्लेख होता है कि किन मामलों में सरकार ने आयोग के सलाह को स्वीकार नहीं किया। राज्यपाल इस प्रतिवेदन को राज्य विधानमण्डल के पटल पर रखेगा और यह भी बताएगा कि किन कारणों से आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गयी।
- लोक सेवा आयोग के कार्य सहालकारी प्रकृति के होते हैं। अत: यह सरकार के लिए मानना बाध्यकारी नहीं है। किंतु यदि सरकार आयोग के परामर्श को अस्वीकार करती है तो इसके लिए कारण बताना पड़ेगा।
- संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय जिनके अंतर्गत आयोग के सदस्यों या कर्मचारीगण को या उसके सम्बन्ध में संदेय कोई वेतन, भत्ते और पेंशन है, यथास्थिति भारत की संचित, निधि या राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे।

वित्त आयोग (Finance Commision)

वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में एक अर्द्ध विधायी संस्था के रूप में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग का गठन प्रति पाँच वर्ष पर अथवा आवश्यक होने पर इससे पहले राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष के पश्चात् किया जाता है। अब तक चौदह वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी है।

संरचना

वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा राष्ट्रवति द्वारा नियुक्ति 4 अन्य सदस्य होते हैं। ये सदस्य अपने पद पर राष्ट्रपति के आदेश में निर्धारित समय तक बने रह सकते हैं। इनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है।

संविधान में संसद को आयोग के सदस्यों की योग्यता और उनके चयन के ढंग का निर्धारण करने का अधिकार दिया गया है। तद्नुरूप ही, संसद ने वित्त आयोग अधिनियम 1951 के द्वारा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की

योग्यता को निर्धारित किया है। आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति हो सकता है जिन्हें सार्वजनिक कार्यों और गतिविधियों का अनुभव हो। चार सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित में से की जा सकती है:

- चार सदस्यों में से एक सदस्य किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या ऐसी ही योग्यता प्राप्त व्यक्ति हो।
- वह व्यक्ति जिसे सरकार की वित्तीय और रेखा प्रणाली का अच्छा ज्ञान हो।
- वह व्यक्ति जिसे वित्तीय और प्रशासनिक विषयों का व्यापक अनुभव हो।
- वह व्यक्ति जिसे अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो।

वित्त आयोग के कार्य

वित्त आयोग का कार्य राष्ट्रपति को निम्न विषयों से संबंधित अपने सिफारिशें भेजना है:

- करों से हुई कुल प्राप्तियों का केन्द्र और राज्यों के बीच बँटवारा और इन प्राप्तियों के हिस्से का राज्यों के बीच आवंटन।
- केन्द्र द्वारा भारत की संचित निधि से राज्यों को दी जाने वाली अनुदान सहायता को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत।
- राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के संसाधनों की संपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने के आवश्यक उपायों से संबंधित अनुशंसा। इस कार्य को संविधान के 73वें और 74वें (संशोधन) अधिनियम, 1992 के द्वारा शामिल किया गया था जिनके माध्यम से क्रमश: पंचायतों और नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।
- वित्तीय दृष्टि से हितकर कोई अन्य विषय जिसे राष्ट्रपति ने भेजा हो।
- आयोग, प्रतिवर्ष जूट और जूट उत्पादों के निर्यात शुल्क से हुई निवल प्राप्ति के हिस्से में से असम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों को दी जाने वाली राशि भी निर्धारित करता है।
- आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। आयोग अपनी रिपोर्ट को अपनी अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही के उल्लेख सहित एक विस्तृत ज्ञापन के साथ संसद के दोनों सदनों में रखता है।

योजना आयोग (Planning Commision)

योजना आयोग की स्थापना वर्ष 1946 में के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में गठित एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड की अनुशंसा पर भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा मार्च, 1950 में की गई थी। इस प्रकार योजना आयोग संविधानेत्तर निकाय है। दूसरे शब्दों में, इस अयोग की स्थापना न तो संविधान के अधीन हुई है और न ही किसी अधिनियम के माध्यम से। बल्कि मंत्रिमण्डलीय संकल्प के द्वारा हुई है। भारत में, योजना आयोग सामाजिक और आर्थिक विकास के नियोजन का सर्वोच्च निकाय है।

संरचना

- आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। आयोग की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है।
- आयोग में उपाध्यक्ष का पद भी है। उपाध्यक्ष ही आयोग का पूर्णकालिक प्रधान होता है। उपाध्यक्ष ही पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप को तैयार करने तथा उन्हें केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के समक्ष रखने के लिए जिम्मेदार है। उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित समय के लिए करता है। उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। यद्यपि वह कैबिनेट का सदस्य नहीं है, फिर भी कैबिनेट की सभी बैठकों में उसे बुलाया जाता है (किंतु उसे मत का अधिकार प्राप्त नहीं होता)।
- कुछ केन्द्रीय मंत्रियों को आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। वित्तमंत्री और योजना मंत्री इस आयोग के पदेन सदस्य होते हैं।
- आयोग में 4.7 की संख्या में पूर्णकालिक विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों को राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त होता है।
- आयोग में एक सदस्य सचिव भी होता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ सदस्य होता है।
- आयोग में राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व नहीं है। योजना आयोग पूर्णत: केन्द्रीय स्तर पर गठित निकाय है।

योजना आयोग के कार्य

दिनांक 15 मार्च, 1950 के प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए थे:

- देश की भौतिक, पूँजी और मानव संसाधनों का आकलन कर उनमें वृद्धि की संभावनाएँ तलाशना।
- देश के संसाधनों को सर्वाधिक प्रभावी और संतुलित ढंग से उपयोग में लाने संबंधी योजना बनाना।
- योजनाओं के कार्यान्वयन की प्राथमिकताओं और उनके चरणों का निर्धारण करना।
- आर्थिक विकास में बाधक तत्त्वों का उल्लेख करना।
- प्रत्येक चरण में योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित तंत्र की प्रकृति का निर्धारण करना।
- योजनाओं के कार्यन्वयन की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा तथा आवश्यक समायोजनों की अनुशंसा करना।
- आयोग के कर्त्तव्यों के निर्वहन को सुगम बनाने या केन्द्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा किसी विषय पर मांगी गई सलाह से संबंधित समुचित अनुशंसा करना।

कार्य विभाजन नियमावली के माध्यम से योजना के (उपर्युक्त के अतिरिक्त) निम्नलिखित विषय भी सौंपे गए हैं:

- परिप्रेक्ष्य नियोजन (भविष्य को ध्यान में रखकर योजना तैयार करना)

- पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम।
- राष्ट्रीय विकास में जन सहयोग।
- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र।
- इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनपावर रिसर्च।

नीति आयोग
(Policy Commission or NITI Ayog)

जब लगभग 65 वर्ष पूर्व 1950 में योजना अयोग का गठन किया गया था, तब भी इसका उद्देश्य देश का तीव्र विकास था और आज जब यह संस्था बूढ़ी हो चली तो विकास की नई आकांक्षाओं को परवान चढ़ाने के लिए गठित की जाने वाली नई संस्था 'नीति आयोग' का उद्देश्य भी देश का तीव्र विकास ही है। दोनों संस्थाओं के नाम अलग हो सकते हैं, रूप अलग हो सकते हैं, किंतु आत्मा एक है।

15 मार्च, 1950 को जिस प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग की स्थापना की गई थी उसके स्थान पर 1 जनवरी, 2015 को एक नया मंत्रिमंडल प्रस्ताव लाकर नीति आयोग की स्थापना की गई है। इस प्रकार नीति आयोग का गठन भी एक मंत्रिमंडल प्रस्ताव द्वारा हुआ तथा यह भी एक परामर्शदात्री एवं संविधानेत्तर संस्था है। यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक एंव नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। नीति आयोग, केन्द्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्त्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। इसमें आर्थिक मोर्चे पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयात, अन्य देशों की बेहतरीन पद्धतियों का प्रसार, नए नीतिगत विचारों का समावेश और विशिष्ट विषयों पर आधारित समर्थन से संबंधित मामले शामिल होंगे।

नीति आयोग के वर्तमान सदस्य

1. **अध्यक्ष**—प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी
2. **मुख्य कार्यकारी अधिकारी**—अमिताभ कांत
3. **उपाध्यक्ष**—राजीव कुमार
4. **पदेन-सदस्य**—राजनाथ सिंह, अरूण जेटली, सरेश प्रभु और राधा मोहन सिंह
5. **विशेष आमंत्रित सदस्य**—नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी और थावर चंद गहलोत
6. **गवर्नर काउंसिल**—राज्यों के मुख्यमंत्री और केन्द्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल।
7. **पूर्णकालिक सदस्य**—बिबेक देव रॉय (अर्थशास्त्री), वी.के. सारस्वत (पूर्व डीआरडीओ प्रमुख) और रमेश चंद्र (कृषि विशेषज्ञ)

परिवर्तन की आवश्यकता

इस भावना को प्रदर्शित करते हुए और नए भारत के बदले माहौल में शासन और नीति के संस्थानों को नई चुनौतियों को अपनाने की जरूरत है, ऐसा प्रस्ताव में कहा गया है।

ऐसा माना जा रहा है कि योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग लाने की सबसे बड़ी वजह राज्यों की आवाज़ को और अधिक महत्त्व देना है। पहली बार मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री चुने गए नरेन्द्र मोदी ने अवश्य ही अपने मुख्य मंत्रित्वकाल में राज्यों की भागीदारी में कमी महसूस की होगी।

नीति आयोग की स्थापना हेतु लाए गए प्रस्ताव में मुख्यत: निम्न बिन्दुओं के कारण इसकी आवश्यकता जताई गई थी:

- नए भारत को एक प्रशासनिक बदलाव की जरूरत है।
- सरकार को कानून बनाने, नीति निर्माण करने तथा विनियमन पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।
- इस बात पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए कि किसानों को उनकी उपज से वास्तविक लाभ प्राप्त हो।
- मध्यवर्ग की क्षमता का पूर्ण दोहन किया जाना चाहिए।
- भविष्य की राष्ट्रीय नीतियों में प्रवासी भारतीय समुदाय की ताकत को समावेशित किया जाना चाहिए।
- सरकार और शासन उच्च पारदर्शित के वातावरण में चलाया जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय विकास के हिस्सेदारी वाले दृष्टिकोण को मानव गरिमा, राष्ट्रीय आत्मसम्मान और समावेशी टिकाऊ पथ पर आधारित होना चाहिए।
- विज्ञान प्रौद्योगिकी और ज्ञानपूर्ण अर्थव्यवस्था के मोर्चों पर कार्य करने के लिए हमें अपने युवाओं को उत्पादक अवसर उपलब्ध कराने के लिए कार्य करना चाहिए।
- गांव हमारे लोकाचार, संस्कृति और जीविका के सुदृढ़ आधार हैं। इन्हें विकास की प्रक्रिया में पूर्ण रूप से संस्थागत बनाए जाने की जरूरत है।
- भारत में 50 मिलियन से अधिक छोटे व्यापार हैं। इस क्षेत्र को आवश्यक सहायता प्रदान करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- हमारी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय परिसम्पत्तियां शाश्वत हैं। इन्हें संरक्षित और रक्षित किया जाना चाहिए।

नीति आयोग के उद्देश्य

जिन कारणों से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की जरूरत है, उसके लिए इसके कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। प्रमुख उद्देश्य ये हैं:

- राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतिज्ञों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना।
- प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय एजेण्डा का प्रारूप उपलब्ध कराना।
- सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना।
- ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना।
- आर्थिक कार्यनीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को शामिल करना।

- समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देना जिन तक आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभान्वित न हो पाने का जोखिम हो।
- रणनीतिक और दीर्घावधिक कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और शैक्षिक एवं नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी के लिए परामर्श और प्रोत्साहन देना।
- कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर बल प्रदान करना।
- बल प्रदान करना।

गठन प्रारूप

नीति आयोग का गठन निम्न प्रकार से होगा:

- **अध्यक्ष**—भारत का प्रधानमंत्री
- **गवर्नर काउंसिल**—राज्यों के मुख्यमंत्री और केन्द्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल
- **क्षेत्रीय परिषद**—विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य क्षेत्र से हो, के लिए।
- बैठक प्रधानमंत्री के निर्देश पर होगी।
- परिषद में संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री और केन्द्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होंगे।
- विशेष आमंत्रित सदस्य-प्रधानमंत्री द्वारा नामित
- **उपाध्यक्ष**—प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त
- **सदस्य**—पूर्ण कालिक एवं अंशकालिक
- **पदेन सदस्य**—केन्द्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम चार सदस्य, प्रधानमंत्री द्वारा नामित
- **मुख्य संचालन अधिकारी**—भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त
- **सचिवालय**—आवश्यकतानुसार

राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council)

राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में की गई अनुशंसा के आधार पर भारत सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा अगस्त, 1952 में हुई थी। योजना आयोग की तरह ही राष्ट्रीय विकास परिषद संविधानेत्तर निकाय है।

राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना सरकार ने योजना को प्रभावी बनाने के लिए साधनों तथा प्रयासों को एकत्रित करने और देश के सभी भागों के संतुलित एवं तीव्र विकास के लिये की है। यह योजना आयोग की प्रमुख परामर्शदात्री संस्थानों में से एक है जिसका प्रमुख कार्य योजना के क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों तथा योजना आयोग के बीच समन्वय बनाये रखना है। यह अपनी सिफारिशों को केन्द्र एवं राज्य सरकारों को भेजती है। वर्ष में दो बार इसका बैठक होना आवश्यक है।

संरचना

राष्ट्रीय विकास परिषद् की संरचना इस प्रकार है:

- भारत के प्रधानमंत्री (अध्यक्ष के रूप में)
- मंत्रिमण्डल स्तर के सभी केन्द्रीय मंत्री (वर्ष 1967 से)
- सभी राज्यों के मुख्यमंत्री
- सभी संघशासित राज्यों के मुख्यमंत्री/प्रशासक
- योजना आयोग के सदस्य

योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद् का भी सचिव होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद् को कार्यों के निष्पादन में योजना आयोग से प्रशासनिक और अन्य तरह की सहायता की प्राप्त होती है।

उद्देश्य

राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों से की गई थी:

- राष्ट्रीय विकास परिषद् का मुख्य उद्देश्य योजना को कार्यरूप देने में राज्यों का सहयोग प्राप्त करना है।
- योजना/योजनाओं के समर्थन में राष्ट्र के प्रयासों और संसाधनों को सुदृढ़ता और गतिशीलता प्रदान करना।
- सभी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में समान आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना।
- देश के सभी भागों में त्वरित एवं संतुलित विकास सुनिश्चित करना।

विकास परिषद् के कार्य (Functions of the Development Council)

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वर्ष 1952 के प्रस्ताव (जिसके फलस्वरूप परिषद् का गठन हुआ) द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद् को कार्य सौंपे गए थे। इन कार्यों को वर्ष 1967 में प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा के आधार पर संशोधित और पुनर्परिभाषित किया गया था। संशोधित कार्यों की सूची इस प्रकार है:

- राष्ट्रीय योजना की तैयारी के लिए मार्ग-निर्देश निर्धारित करना।
- योजना आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय योजना पर विचार करना।
- योजना को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित संसाधनों का आकलन करना और उनको बढ़ाने के उपाय सुझाना।
- राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक महत्त्व के विषयों पर विचार करना।
- राष्ट्रीय योजना से संबंधित कार्यों की समय-समय पर समीक्षा करना।
- राष्ट्रीय योजना में निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाना।

योजना आयोग द्वारा तैयार पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को पहले केन्द्रीय मंत्रिमण्डल को प्रस्तुत किया जाता है। इसकी स्वीकृति के बाद उसे राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष स्वीकृति के लिए रखा जाता है। इसके बाद योजना को संसद में रखा जाता है। संसद की स्वीकृति के बाद इसे अधिकारिक योजना माना जाता है और तब इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग
(National Commission for Women)

राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 1990 के अधीन एक वैधानिक निकाय के रूप में जनवरी 1992 में की गयी थी। इस आयोग का कार्य महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनों सुरक्षापायों की समीक्षा करना, वैधानिक उपचारी उपायों का सुझाव देना, शिकायतों के निपटान को बढ़ावा देना और महिला को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को परामर्श देना है।

इस आयोग को महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा के अधिकारों को लागू कराने तथा महिलाओं से संबंधित आवश्यक संशोधनों और व्यवस्थाओं से संबंधित सुझाव देने का दायित्व सौंपा गया है। महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष का गठन किया गया जो स्वरोज़गार हेतु प्रयासरत महिलाओं तथा महिला समूहों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष श्रीमति ललिता कुमारमंगलम हैं।

संरचना

इस आयोग में शामिल हैं:

- महिलाओं के हित के लिए प्रतिबद्ध केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत एक अध्यक्ष।
- केन्द्र सरकार द्वारा विधि या विधायन, मजदूर संघ, औद्योगिक प्रबन्धन, महिलाओं के स्वैच्छिक संगठन, प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा या सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त लोगों में से पाँच लोगों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है। इनमें अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से जुड़े एक-एक सदस्य का होना भी आवश्यक है।
- केन्द्र सरकार द्वारा एक सदस्य सचिव को मनोनीत किया जाता है जो कि:
  1. प्रबन्धन, संगठनात्मक संरचना या सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में अनुभव रखता है या
  2. संघ की लोक सेवाओं का एक सदस्य या अखिल भारतीय सेवा का एक सदस्य या उपयुक्त अनुभव के साथ संघ के अधीन किसी नागरिक पद को धारण करने वाला अधिकारी होता है।

कार्यकाल, पदच्युति और सेवा-शर्तें

- आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। सदस्य सचिव को छोड़कर कोई भी सदस्य या अध्यक्ष सरकार को सम्बोधित त्याग-पत्र के माध्यम से अपने पद को छोड़ सकता है।
- केन्द्र सरकार अध्यक्ष या उसके किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकती है यदि वह व्यक्ति:
  1. दिवालिया घोषित हो जाता है।
  2. एक ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है या कैद की सज़ा प्राप्त करता है जो कि केन्द्र सरकार की दृष्टि में अनैतिक है।
  3. मानसिक रूप से विकृत हो जाता है और किसी सक्षम अदालत द्वारा ऐसा घोषित कर दिया जाता है।
  4. कार्य करने में अक्षम हो जाता है या कार्य करने से मना कर देता है।
  5. आयोग को सूचित किए बिना आयोग की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है।
  6. केन्द्र सरकार के मतानुसार यदि वह पद पर रहते हुए सार्वजनिक हित के लिए घातक माना जाता है।
- अध्यक्ष एवं सदस्यों को नियमानुसार वेतन भत्ते दिये जाते हैं और उन पर अन्य शर्तें और सेवा-शर्तें लागू होती हैं।

आयोग के कार्य

- महिलाओं के लिए संविधान और अन्य विधियों के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण और परीक्षण करना।
- उन रक्षोपायों से कार्यकारण के बारे में प्रति वर्ष, और अन्य समयों पर जो आयोग ठीक समझे केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट देना।
- ऐसी रिपोर्टों को महिलाओं की दशा सुधारने के लिए संघ या किसी राज्य सरकार द्वारा उन रक्षापायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करना।
- संविधान और अन्य विधियों में महिलाओं को प्रभावित करने वाले विद्यमान उपबंधों का समय-समय पर पुनरावलोकन करना और उनके संशोधनों की सिफारिश करना जिससे कि ऐसे विधानों में किसी कमी अपर्याप्तता या त्रुटियों को दूर करने के लिए उपचारी विधायी उपायों का सुझाव दिया जा सके।
- संविधान और अन्य विधियों के उपबंधों में महिलाओं से संबंधित अतिक्रमण के मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना।
- निम्नलिखित से संबंधित विषयों पर शिकायतों की जाँच करना और स्वप्रेरणा से ध्यान देना:
  1. महिलाओं के अधिकारों का वंचन
  2. महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए और समता तथा विकास का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अधिनियमित विधियों का क्रियान्वयन।
  3. महिलाओं की कठिनाइयों को कम करने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने तथा उनको अनुतोष उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ नीतिगत विनिश्चयों, मार्गदर्शक सिद्धांतों या अनुदेशों का पालन करना और ऐसे विषयों से उद्भूत प्रश्नों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना।
- महिलाओं के विरुद्ध विभेद और अत्याचारों से उद्भूत विनिर्दिष्ट समस्याओं या स्थितियों का विशेष अध्ययन या अन्वेषण कराना और बाधाओं का पता लगाना, जिससे उनको दूर करने की कार्य योजनाओं की सिफारिश की जा सके।
- संवर्धन और शिक्षा संबंधी अनुसंधान करना जिससे महिलाओं का सभी क्षेत्रों में सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उपायों का

सुझाव दिया जा सके और उनकी उन्नति में अड़चन डालने के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाना जैसे कि आवास की बुनियादी सेवाओं की कमी, उबाउपन और उपजीविकाजन्य, स्वास्थ्य परिसंकटों को कम करने के लिए और महिलाओं की उत्पादकता की वृद्धि के लिए सहायक सेवाओं और प्रौद्योगिकी की अपर्याप्तता आदि।

- महिलाओं में सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।
- किसी जेल, सुधार गृह, महिलाओं की संस्था या अभिरक्षा के अन्य स्थान का जहां महिलाओं को बंदी के रूप में या अन्यथा रखा जाता है, निरीक्षण करना या करवाना और उपचारी कार्यवाही के लिए यदि आवश्यक हो, संबंधित प्राधिकारियों से बातचीत करना।
- बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रश्नों से संबंधित मुकदमों के लिए धन उपलब्ध करवाना।
- महिलाओं से संबंधित किसी बात के और विशिष्टयता उन विभिन्न कठिनाइयों के बारे में जिनके अधीन महिलाएँ कार्यरत हैं, सरकार को समय-समय पर रिपोर्ट देना।
- कोई अन्य विशेष विषय जो केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करे।

राष्ट्रीय-मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commision)

राष्ट्रीय आयोग में अध्यक्ष के अलावा अन्य चार सदस्य होते हैं। 'मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम' के अधीन गठित राष्ट्रीय अधिकार आयोग में निम्नलिखित सदस्य शामिल किए जाते हैं:

- इस आयोग की अध्यक्षता भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश करेगा।
- एक सदस्य वह जो कि सर्वाच्च न्यायालय का न्यायाधीश को या वह रह चुका हो।
- एक सदस्य वह जो कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो।
- मानव अधिकारों से संबंधित विशेष ज्ञान रखने वाले दो व्यक्ति।
- इन सदस्यों के अलावा कुछ विशेष कार्यों के लिए अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति व जन-जातियों से सम्बन्धित राष्ट्रीय आयोग, महिलाओं से संबंधित राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्षों को भी कुछ समय के लिए मानव अधिकार आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति की जा सकती है। इनकी नियुक्ति का वर्णन दिसम्बर, 1993 में संसद द्वारा पारित अधिनियम में किया गया है।

तालिका 18.2: संवैधानिक आयोग

संवैधानिक आयोग	अनुच्छेद	नियुक्ति	कार्यकाल	संख्या	अभिलक्षण
1. निर्वाचन आयोग	अनु. 324	राष्ट्रपति	6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक	एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त व दो अन्य आयुक्त, जिस रीति एवं आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के जज	संसद के दोनों सदनों, राज्य-विधानमण्डल के दोनों सदनों राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन हेतु बना।
2. संघ लोक सेवा आयोग	अनु. 315	राष्ट्रपति	65 की आयु तक	अध्यक्ष सहित नौ से ग्यारह सदस्य	यह भारत का केन्द्रीय भर्ती आयोग है जो देश के एक दर्जन से अधिक केन्द्रीय परीक्षा का आयोजन करता है।
3. राज्य लोक सेवा आयोग	अनु. 315	राज्यपाल	6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो	एक अध्यक्ष और सदस्य संख्या निश्चित नहीं है।	यह राज्य का भर्ती अभिकरण है जो कि राज्य स्तरीय परीक्षाओं का आयोजन करता है।
4. वित्त आयोग	अनु. 280	राष्ट्रपति	प्रत्येक पाँच वर्ष या आवश्यकतानुसार उससे पहले भी	एक अध्यक्ष व चार सदस्य	केन्द्र और राज्य के बीच करों का वितरण और राजस्व में सहायता अनुदानों के लिए
5. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	अनु. 338	राष्ट्रपति	जो राष्ट्रपति निश्चित करें	एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष एवं तीन सदस्य	यह राष्ट्रपति को अपना वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
6. राष्ट्रीय जनजाति आयोग	अनु. 338A	राष्ट्रपति	जो राष्ट्रपति निश्चित करें	एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष एवं तीन सदस्य	यह राष्ट्रपति को अपना वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
7. परिसीमन आयोग	अनु. 82	राष्ट्रपति	प्रत्येक 10 वर्ष में	एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य	संसद एवं विधानमण्डल की सीटों का प्रत्येक दस वर्ष बाद परिसीमन करना।

तालिका 18.3: सांविधिक आयोग

सांविधिक आयोग	गठन वर्ष	नियुक्ति	कार्यकाल	संख्या	अध्यक्ष
1. नीति आयोग	1 जनवरी, 2015	राष्ट्रपति	3 वर्ष/70 वर्ष	एक अध्यक्ष व चार सदस्य	प्रधानमंत्री
2. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	1993	राष्ट्रपति	3 वर्ष/70 वर्ष	एक अध्यक्ष व चार सदस्य	SC के पूर्व मुख्य न्यायाधीश
3. राज्य मानवाधिकार आयोग	1993	राज्यपाल	5 वर्ष या 70 वर्ष	एक अध्यक्ष व दो अन्य सदस्य	
4. केन्द्रीय सूचना आयोग	2005	राष्ट्रपति	5 वर्ष या 65 वर्ष	10 से अधिक सदस्य नहीं	
5. राज्य सूचना आयोग	2005	राज्यपाल	4 वर्ष या 65 वर्ष		
6. केन्द्रीय सतर्कता आयोग	1964	राष्ट्रपति	4 वर्ष या 65 वर्ष	3 या 3 से कम	
7. सी.बी.आई.	1941				
8. राष्ट्रीय बाल सरक्षण आयोग	2007				
9. राष्ट्रीय महिला आयोग	1992	राष्ट्रपति	तीन वर्ष	एक अध्यक्ष और पाँच सदस्य व एक सदस्य सचिव	

आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति एक समिति के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर करता है। जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं:

- समिति का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री,
- लोकसभा का अध्यक्ष,
- गृहमंत्री या आंतरिक सुरक्षा राज्यमंत्री,
- लोकसभा में विरोधी दल का नेता,
- राज्यसभा का उप-सभापति,
- राज्यसभा में विरोधी दल का नेता।

राष्ट्रपति इस समिति की सिफारिश के बिना राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में किसी भी सदस्य की नियुक्ति नहीं कर सकता। मानव अधिकार आयोग में शामिल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वाच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह के बिना नहीं हो सकती।

सदस्यों का कार्यकाल

दिसम्बर, 1993 में पारित मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम के अनुसार मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है, परंतु यदि वह 5 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले 70 वर्ष का हो जाए तो उसे इस पद से सेवा-निवृत्त होना पड़ता है। आयोग का कोई भी सदस्य 70 वर्ष के बाद अपने पद पर कायम नहीं रह सकता है। आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी पांच वर्ष के लिए की जाती है और पांच वर्ष के पश्चात् भी सदस्यों को पुन: अपने पद पर नियुक्त किया जा सकता है। सेवा निवृत्ति के पश्चात् मानव अधिकार आयोग के सदस्य केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी लाभकारी पद पर नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं।

मानव अधिकार आयोग के कार्य और शक्तियां

- भारत के किसी भी क्षेत्र में मानव अधिकारों की अवहेलना होने पर उनकी जांच-पड़ताल मानव अधिकार आयोग, पीड़ित व्यक्ति की प्रार्थना पर करता है।
- आयोग लोक-कल्याणकारी अधिकारी द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने में की गई ढील की जांच-पड़ताल करता है।
- आयोग मानव-अधिकारी के क्षेत्र में गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा उठाए जा रहे कदमों को प्रोत्साहित करता है।
- आयोग संविधान व राष्ट्रीय कानूनों में वर्णित मानव अधिकारों से संबंधित व्यवस्था पर विचार करता है और उन्हें प्रभावशाली ढंग से लागू करने की सिफारिश करता है।
- आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित किसी भी अदालत में चल रही कार्यवाही में उस अदालत की स्वीकृति से हिस्सा ले सकता है।
- आयोग मानव अधिकारों से सम्बन्धित अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और लेखों का अध्ययन करता है और उसे कार्यरूप देने की सिफारिश करता है।
- आयोग किसी भी राज्य की जेल या ऐसी जगहों पर जहां मनुष्यों को नज़रबंद रखा गया होता है, का दौरा कर सकता है।
- आयोग आतंकवादी कार्यवाहियों समेत उन सभी तथ्यों संबंधी कानूनों आदि पर पुन: विचार करता है जो कि मानव अधिकारों को लागू करने के मार्ग में बाधक है।
- मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारों से संबंधित जानकारी समाज के विभिन्न वर्गों को देता है।

- आयोग मानव अधिकारों के क्षेत्र में विस्तार के प्रयास करता है और इसके विकास के लिए प्रयत्नशील रहता है।
- मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित किसी भी तरह की सूचना या रिपोर्ट केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या सम्बन्धित संस्था से मांग सकता है।
- मानव अधिकार आयोग को यदि निश्चित समय के भीतर संबंधित संस्था से मानव अधिकारों के उल्लंघन की रिपोर्ट नहीं मिलती तो आयोग स्वयं उनकी जांच-पड़ताल शुरू कर देता है।
- आयोग रिपोर्ट मिलने पर अगर यह अनुभव करे कि मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को या संस्था को दण्ड दिया जा चुका है और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर ली गई है तो इसकी सूचना वह पीड़ित व्यक्ति को देता है।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग (Child Rights Protection Commission)

बच्चे किसी भी देश के भविष्य होते हैं। बच्चों के अधिकारों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक होता है। इसी संदर्भ में केन्द्र सरकार ने बाल अधिकार संशोधन अधिनियम, 2006 पारित किया और इसके आधार पर 23 फरवरी, 2007 को बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया। यह एक वैधानिक संस्था है।

संरचना

- इस आयोग में अध्यक्ष समेत सात सदस्य होते हैं।
- आयोग का अध्यक्ष पद महिला के लिए आरक्षित होता है।
- आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त छः सदस्य होते हैं, जिनमें से चार महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
- सदस्यों के लिए सम्बन्धित क्षेत्र में 10 वर्ष के अनुभव का प्रावधान किया गया है।
- अध्यक्ष का चुनाव एक समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता, गृहमंत्री, एवं मानव संसाधन मंत्री होंगे।
- राज्य बाल आयोग का गठन भी राज्यों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।

कार्य एवं शक्तियां

- बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना।
- बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना।
- केन्द्र या राज्य सरकारों के तहत आने वाले किशोर सुधार गृहों का निरीक्षण।
- बच्चों की चिकित्सा और सुधार का बंदोबस्त करना।
- गरीब बच्चों के अधिकारों से संबंधित मामलों पर ध्यान देना।
- बच्चों से जुड़ी शिकायतों की जांच करना।
- बच्चों को आतंकवाद, सम्प्रदायिक हिंसा, घरेलू हिंसा, एड्स, वेश्यावृत्ति आदि से बचाने हेतु कदम उठाना।
- बच्चों से जुड़े कार्यक्रमों, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और मौजूदा नीतियों की समीक्षा कर बच्चों के हित में उन्हें लागू करना।

निर्वाचन आयोग (Election Commission)

भारत का संविधान भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करता है। इसमें प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि या आवश्यक होने पर उसके पूर्व भी जनता निर्वाचन के माध्यम से अपने उन प्रतिनिधियों का चयन करती है जिन्हें वह शासन सत्ता सौंपना चाहती है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। विशाल देश में निर्वाचन के उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य के सम्पादन के लिए संविधान निर्माताओं ने एक स्वतंत्र निकाय-निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया है। संविधान के प्रावधान के अनुसार निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में की गई है।

संरचना

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद-324 में चुनाव व्यवस्था के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण का कार्य भारत में संवैधानिक मान्यता प्राप्त, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोग को सौंपा गया है।
- चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा ऐसे अन्य आयुक्त होंगे, जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करे।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श कर वांछित क्षेत्रीय चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। ये क्षेत्रीय चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग के सहायक तंत्र के रूप में कार्य करते हैं।

1950 से 15 अक्टूबर, 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यी निकाय के रूप में कार्य करता था, जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता था। मत देने की न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष करने के बाद 16 अक्टूबर, 1989 को राष्ट्रपति ने आयोग के काम के भार को कम करने के लिए दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया। इसके बाद, आयोग बहुसदस्यीय संस्था के रूप में कार्य करने लगा, जिसमें तीन निर्वाचन आयुक्त हैं। हालांकि 1990 में दो निर्वाचन आयुक्तों के पद को समाप्त कर दिया गया और स्थिति एक बार पहले की तरह हो गई। एक बार फिर अक्टूबर 1993 में दो निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया। इसके बाद से अब तक आयोग बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर काम कर रहा है, जिसमें तीन निर्वाचन आयुक्त है।

आयोग के कार्य एवं शक्तियां

चुनाव आयोग के कार्य एवं शक्तियां वृहद् हैं। आम चुनावों के दौरान समस्त प्रशासन चुनाव आयोग के निर्देशन में कार्य करता है। निर्वाचन आयाग के कार्य व शक्तियों के तीन क्षेत्र हैं—प्रशासनिक, परामर्शदात्री तथा अर्द्ध-न्यायिक। संविधान के अनुसार संसद तथा राज्य विधानमण्डलों के लिए कराए जाने

वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग का कर्त्तव्य है, जिन्हें पूरा करने के लिए निर्वाचन आयोग को निम्नलिखित कार्य करने पड़ते हैं:

- निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन,
- निर्वाचक नामावली तैयार करना,
- राजनीतिक दलों को मान्यता देना,
- राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना,
- निर्वाचन की तिथि और समय-सारणी निर्धारित करना एवं नामांकन पत्रों की जांच करना,
- निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता तैयार करना।
- चुनाव में अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन रद्द करना।

तालिका 18.4: भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त

नाम	कार्यकाल	नाम	कार्यकाल
1. सुकुमार सेन (21 March–19 Dec.)	1950–1958	2. के. वी. के. सुंदरम (20 Dec.–30 Sept.)	1958–1967
3. एस. पी. सेन वर्मा (10 Oct.–30 Oct.)	1967–1972	4. डॉ. पी. सेन वर्मा (10 Oct.–6 Feb.)	1972–1973
5. टी. स्वामीनाथन (7 Feb.–17 June)	1973–1977	6. एस. एल. शकधर (18 June–17 June)	1977–1982
7. आर. के. त्रिवेदी (18 June–31 Oct.)	1982–1985	8. आर. वी. एस.पेरिशास्त्री (13 Jan.–25 Nov.)	1986–1990
9. श्रीमती वी. एस. रमादेवी (26 Nov.–11 Oct.)	1990–1990	10. टी. एन. शेषन (12 Dec.–11 Dec.)	1990–1996
11. एम. एस. गिल (12 Dec.–13 June)	1996–2001	12. जे. एम. लिंगदोह (14 June–7 Feb.)	2001–2004
13. टी. एस. कृष्णामूर्ति (8 Feb.–15 May)	2004–2005	14. बी. बी टंडन (16 May–29 June)	2005–2006
15. एन गोपाल स्वामी (30 June–20 April)	2006–2009	16. नवीन चावला (21 April–29 July)	2009–2010
17. एस. आर. कुरैशी (30 July–10 June)	2010–2012	18. एस. एस. ब्रह्मा (16 Jan.–18 April)	2012–2015
19. नसीम जैदी (19 April–5 July)	2015–2017	20. वी. एस. संपत (11 June–15 Jan.)	2012–2015
21. अचल कुमार ज्योति (6 July–22 Jan.)	2017–2018	22. ओम प्रकाश रावत (23 Jan.)	2018 से अब तक

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
(National Minorities Commission)

भारतीय संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष भारत और भारत के सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता उपलब्ध कराने का संवैधानिक लक्ष्य है। इन्हीं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए मौलिक अधिकारों में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। इसी दिशा में अल्पसख्यंकों के हितों की सुरक्षा और धर्मनिरपेक्ष को बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा 1978 में एक संकल्प द्वारा अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई। अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 में पारित किया गया।

संरचना

आयोग एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व पांच अन्य सदस्यों से मिलकर गठित होगा, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा विख्यात, योग्य व सिद्धांत वाले व्यक्तियों में से नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। इनमें अध्यक्ष सहित पांच सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे।

आयोग के प्रमुख कार्य

- संघ और राज्यों में अल्पसंख्यकों के विकास का चरणबद्ध ढंग से अध्ययन।
- संविधान द्वारा प्रदत्त उपायों और संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के क्रियान्वयन को 'मानीटर' करना।
- केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए निश्चित उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिशें करना।
- अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा पूर्वापायों के हनन या समाप्ति से संबंधित खास-खास शिकायतों की पड़ताल करना तथा उन्हें उपयुक्त अधिकारियों तक ले जाना।
- अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभाव के कारण उत्पन्न समस्याओं पर अध्ययनों को प्रेरित करना और इन भेदभावों को समाप्त करने के लिए विभिन्न उपायों का सुझाव देना।
- अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षिक विकास से संबद्ध मुद्दों पर शोध।
- केन्द्र या राज्यों का ध्यान आकृष्ट करने वाले किसी अल्पसंख्यक समूह के परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त उपायों का सुझाव देना।
- अल्पसंख्यकों से संबद्ध किसी मुद्दे पर और खासकर उनकी कठिनाइयों के संदर्भ में केन्द्र रकार के समक्ष विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (National Commission for Miniority Educational Insiutions)

किसी शैक्षणिक संस्था को अल्पसंख्यक दर्जा देने और उसे देश के किसी भी विश्वविद्यालय से संबद्ध कराने में आने वाली बाधाओं को दूर करने वाले राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2006 के अनुसार अब राज्य सरकार अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को अनापत्ति पत्र (एनओसी) देने में आनाकानी नहीं कर सकते। अब राज्य सरकार को आवेदन पत्र मिलने के बाद 60वें दिन के अंदर जवाब देना होगा अन्यथा संबद्ध शैक्षणिक संस्था आयोग के पास आ सकती है जो राज्य सरकार से पूछताछ कर उसे अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान कर सकेगा।

जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (एनसीएनईआई) ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया है। न्यायमूर्ति एमएसए सिद्दीकी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने यह बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया। इस प्रकार जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय देश का पहला अल्पसंख्यक केन्द्रीय विश्वविद्यालय बन गया।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (National Knowledge Commission)

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन 13 जून, 2005 को सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में किया गया। इस आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट प्रधानमंत्री को 12 जनवरी, 2007 को सौंपी तथा द्वितीय रिपोर्ट 19 जनवरी, 2008 को सौंपी। वर्तमान में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रथम अध्यक्ष सैम पित्रोदा हैं।

ज्ञान आयोग की सिफारिशें

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:

- जनता की ज्ञान तक पहुँच सुनिश्चित की जाए।
- युवा जनसंख्या की बौद्धिक व कौशल क्षमता में सुधार किया जाए।
- विज्ञान एवं तकनीक में सृजनात्मक ज्ञान को बढ़ावा दिया जाए।
- ज्ञान का प्रयोग कृषि व उद्योग में बढ़ाया जाए।
- योजना आयोग 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए अधिक राशि खर्च करे।
- उच्च बैण्डविथ क्षमता वाला 'नेशनल नॉलेज नेटवर्क' स्थापित करना।
- ऑल इण्डिया काउन्सिल फॉर टेक्नीकल एजुकेशन की स्थापना की जाए।
- शिक्षा व्यवस्था वैश्वीकरण के अनुरूप रोजगारपरक बनाया जाए।
- विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग विषयों में छात्रों की रूचि को बढ़ाया जाए।
- कॉलेज विश्वविद्यालय को नेटवर्क द्वारा जोड़ा जाए।
- चिकित्सा, कानून और प्रबंधन शिक्षा में स्वायत्ता लाई जाए।
- अंग्रेज़ी भाषा को पहली कक्षा से अनिवार्य किया जाए।
- एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी एजुकेशन फण्ड स्थापित किया जाए।
- जल, ऊर्जा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार आदि की जानकारी जनसामान्य तक सुलभ बनाने के लिए पोर्टल बनाए जाए।

केन्द्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission)

केन्द्र एवं राज्य सरकारों के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए संसद द्वारा मई 2005 में पारित सूचना के अधिकार अधिनियम को 12 अक्टूबर, 2005 से लागू किया गया है। जम्मू-कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में इसे लागू किया गया है। इस अधिनियम के प्रावधान द्वारा आम नागरिकों को सरकारी दस्तावेजों व आँकड़ों के प्रिन्ट आउट प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया है।

नागरिकों को वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक विभाग में लोक सूचना अधिकारी नामित किए गए हैं। इस कार्य पर निगरानी के लिए केन्द्र सरकार ने 'केन्द्रीय सूचना आयोग' (सीआईसी) का गठन केन्द्रीय स्तर पर 11 अक्टूबर, 2005 को किया था। इसके प्रथम अध्यक्ष या मुख्य आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला को बनाया गया।

संरचना

केन्द्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य आयुक्त व दस अन्य आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल पांच वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, तक होगा। केन्द्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति एक तीन सदस्यीय समिति द्वारा होगी, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता व एक अन्य मंत्री होगा।

कार्यकाल एवं सेवा शर्तें

मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्त पांच वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो तक पद पर बने रह सकते हैं। उन्हें पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं होती है। मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होते हैं। इसी प्रकार अन्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तों निर्वाचन आयुक्त के समान होते हैं।

केन्द्रीय सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियां

- सूचना अधिकारी द्वारा 30 दिन के भीतर न उपलब्ध करायी गयी शिकायतों को सुनना।
- किसी सरकारी संस्था में सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है तो नियुक्ति का निर्देश देना।

- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करना।
- प्रशासन को पारदर्शी व जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना।
- किसी दस्तावेज को मंगाना एवं उसकी जांच करना।
- केन्द्रीय सूचना आयोग को सिविल कोर्ट के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं।
- केन्द्रीय सूचना आयोग किसी व्यक्ति को समन जारी कर सकती है।
- 'फाइल नोटिंग' के मामले में सूचना आयोग का कहना था कि यह अधिकार नागरिकों को प्राप्त है लेकिन सरकार का कहना है कि यह अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है।
- आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करता है। केन्द्र सरकार इस प्रतिवेदन को दोनों सदनों के पटल पर रखती है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for Scheduled Castes)

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक संस्था है। 65वें संशोधन (1990) द्वारा अनुच्छेद 338 के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना की गई। इसमें संयुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व पाँच अन्य सदस्य थे। यह अनुसूचित जाति एवं जनजाति दोनों के संरक्षण व उनके अन्याय के विरुद्ध जाँच का कार्य करता था। 89वें संशोधन अधिनियम (2003) द्वारा अनुच्छेद 338-ए जोड़ा गया और पृथक-पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापवना की गई। वर्ष 2004 से पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अस्तित्त्व में आया।

संरचना

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व तीन सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनकी पदावधि व कार्यकाल भी राष्ट्रपति निर्धारित करता है। वर्तमान में इसका कार्यकाल 5 वर्ष है।

कार्य एवं शक्तियाँ

- अनुसूचित जाति को संविधान द्वारा उपलब्ध संरक्षण व अधिकारों की जाँच करना
- अनुसूचित जाति के शोषण एवं वेतन की शिकायत की जाँच करना
- अनुसूचित जाति के विकास के लिए सरकार को सिफारिश करना
- अनुसूचित जाति के संवैधानिक संरक्षण को प्रभावी रूप में लागू करने की सिफारिश करना
- किसी वर्ग को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने की सिफारिश करना
- अनुसूचित जातियों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का समय-समय पर अध्ययन करना
- अनुसूचित जाति के बारे में प्रतिवर्ष राष्ट्रपति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करना जिसकी जाँच संसद की अनुसूचित जाति व जनजाति समिति करती है।
- राष्ट्रपति के आदेशानुसार अनुसूचित जातियों के सामाजार्थिक विकास, हितों के संरक्षण एवं संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सौंपे गये किसी अन्य कार्य को सम्पन्न करना।
- आयोग किसी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है, अत: आयोग को सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (National Commission for Scheduled Tribes)

राष्ट्रीय जनजाति आयोग एक संवैधानिक संस्था है। 65वें संशोधन अधिनियम (1990) द्वारा संयुक्त अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग की स्थापना अनुच्छेद 338 के अंतर्गत की गई थी। परंतु जनजातियों के हितों की पर्याप्त सुरक्षा करने के लिए जब पृथक जनजातीय मंत्रालय का गठन किया गया तो पृथक जनजाति आयोग की स्थापना के लिए सरकार ने कदम उठाया। 89वें संशोधन अधिनियम (2003) द्वारा अनुच्छेद 338-ए जोड़ा गया और उसके अंतर्गत पृथक जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया। वर्ष 2004 से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्त्व में आया।

संरचना

जनजाति आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं तीन अन्य सदस्य होते हैं। वर्तमान में कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया है।

कार्य एवं शक्तियाँ

जनजाति आयोग को जनजाति के हितों की सुरक्षा के लिए निम्न कार्य एवं शक्तियाँ प्राप्त हैं:

- जनजातियों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण की समीक्षा करना।
- जनजातियों को संविधान में दिए गए अधिकार किस प्रकार से प्राप्त हों, उसके बारे में सरकार को परामर्श देना।
- जनजातियों के अधिकारों के हनन की स्थिति की जाँच करना।
- जनजातियों के लिए चलाए गए कार्यक्रमों की समीक्षा करना एवं कार्यक्रम किस ढंग से प्रभावी रूप से लागू हों इसके बारे में सरकार से परामर्श करना।
- जनजातियों की समस्याओं, यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि हस्तांतरण को दूर करने के लिए सरकार को सुझाव देना।
- किस जनजाति को अनसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, इसके बारे में राष्ट्रपति को परामर्श देना।
- राष्ट्रपति को जनजातियों के अधिकारों व विकास के बारे में प्रतिवर्ष रिपोर्ट देना।
- जनजातियों को वन अधिकार दिलाने के लिए जनजातीय वन अधिकार अधिनियम 2006 पारित किया गया। इसमें आयोग की भूमिका महत्त्वपूर्ण थी

- जनजातियों में अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने में भी आयोग महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- आयोग को सिविल कोर्ट के समान सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं। किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना, साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन किलना जैसी शक्तियाँ आयोग को प्राप्त हैं।

पेशा कानून

जनजातियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में असफल

अनूसूचित इलाकों में पंचायती राज कानून को स्थापित करने वाला पेसा अधिनियम (Panchayat Extension to Scheduled Areas Act-PESA) अनुसूचित जातियों-जनजातियों, वनवासियों, जंगलों, पहाड़ों में निवास करने वाली विशेष जातियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में असहाय पड़ता जा रहा है। नौकरशाह, नेताओं के अलावा कॉरपोरेट घराने इस अधिनियम को रोकने में लगे हुए हैं। देश के आठ राज्यों में लागू इस कानून के जरिए ग्राम स्वराज्य के गांधी के सपनों को साकार करने में जुट गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों को नौकरशाही से लोहा लेना पड़ रहा है। कई जानें गईं और कई जगह आंदोलन चल रहे हैं। यह कानून लॉबिस्टों के आगे बौना साबित हो रहा है। पेशा कानून के जरिए सरकार ने आदिवासी व वनवासी बहुल अनुसूचित क्षेत्रों में उनकी 'ग्रामसभा' को अधिकार देते हुए उन्हें अधिकृत किया है, कि जल, जंगल, ज़मीन से जुड़ी किसी भी योजना पर अमल तभी होगा जब उन्हें उनकी ग्रामसभा स्वीकार करें। यानि उनकी स्वीकृति पर ही विकास कार्य होगा लेकिन इस कानून का अनावश्यक इस्तेमाल हो रहा है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (National Commission for Other Backward Classes)

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 340 में उपबन्ध है कि राष्ट्रपति भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की समस्याओं के अन्वेषण और कठिनाइयों को दूर करने सम्बन्धी सुझाव देने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करेगा। राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम 1953 में गाँधीवादी विचारक काका कालेलकर की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। आयोग की ढुलमुल नीति के कारण इसकी सिफारिशों को लागू न किया जा सका।

1978 में वी.पी. मण्डल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया। छः सदस्यीय इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में राष्ट्रपति को दी। आयोग ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की जिसे वी.पी. सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने 1990 में लागू किया।

1993 के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम द्वारा स्थायी रूप से पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व अन्य सदस्य हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

संरचना

आयोग 5 सदस्यों से मिलकर गठित होगा, जिसमें एक अध्यक्ष, जो कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, या रह चुका हो, एक समाजशास्त्री, दो ऐसे व्यक्ति जिन्हें कि पिछड़े वर्ग सम्बन्धी मामलों में विशेष अनुभव हो तथा एक सदस्य सचिव जो कि केन्द्र सरकार में भारत सरकार के सचिव के रैंक में हो या रह चुका हो, शामिल होंगे।

कार्य एवं शक्तियाँ

- पिछड़े वर्ग के लिए संवैधानिक संरक्षण भली-भाँति रूप से लागू हो रहा है या नहीं इसकी जाँच करना, इनके भली-भाँति क्रियान्वयन के लिए सरकार को सिफारिश करना।
- पिछड़े वर्गों की स्थिति में सुधार के लिए सरकार को परामर्श देना।
- पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जाँच करना तथा उनके भली-भाँति संचालन के लिए सरकार को परामर्श देना।
- कौन-सी जाति पिछड़े वर्ग में सम्मिलित होगी और कौन-सी नहीं इस मामले में सरकार को परामर्श देना।
- क्रीमी लेयर की धन सीमा के बारे में सरकार को परामर्श देना।
- पिछड़े वर्गों की स्थिति का समय-समय पर अध्ययन करना।
- पिछड़े वर्गों में अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना।
- अन्य पिछड़े वर्गों के अधिसमावेशन सम्बन्धी शिकायतों व सूची में शामिल करने के आवेदनों पर विचार हेतु दिशा-निर्देश देना।
- अनुच्छेद 340(2) के अनुसार कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन आयोग राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति इस प्रतिवेदन को संसद के समक्ष रखेगा।

राष्ट्रीय कृषक आयोग (National Agricultural Commission)

कृषि की सक्षमता एवं संवहनीयता को बढ़ाने तथा कृषकों की दशा का अध्ययन कर उनकी आय को दोगुना करने के उद्देश्य के साथ भारत सरकार ने श्री सोमपाल शास्त्री की अध्यक्षता में 10 फरवरी, 2004 को राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किया था। बाद में यूपीए सरकार ने 18 नवम्बर, 2004 को श्री एम.एस. स्वामीनाथन को राष्ट्रीय कृषक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करने के साथ ही इसका पुनर्गठन किया। राष्ट्रीय कृषक आयोग अने दिसम्बर, 2004 से अक्टूबर, 2006 के मध्य केन्द्र सरकार को 6 रिपोर्ट सौंपी। इन विभिन्न रिपोर्टों की मुख्य बातें निम्न हैं:

- मुख्य या प्रधान कृषि भूमि का उपयोग केवल कृषि हेतु ही होना चाहिए, कृषि-इतर कार्य हेतु नहीं।
- 'पशुधन खाद्य एवं चारा निगम', 'राष्ट्रीय पशुधन विकास परिषद' एवं 'राष्ट्रीय बायोटेक्नोलॉजी विनियमन अथॉरिटी, की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें कृषकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

- कृषिगत उत्पादन, उत्पादन उपरांत के क्रियाकलाप तथा बाजार जोखिमों को कवर करने वाले बीमा को प्रारंभ करना चाहिए।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य को फसलों के लागत से जोड़ना तथा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को स्वायत्तता प्रदान करना।
- कृषकों के हितों की रक्षा हेतु भारतीय व्यापार संगठन की स्थापना करना।
- आयातित कृषिगत पदार्थों की कम कीमत तथा कीमतों के उतार-चढ़ाव के दृष्टिगत एक मूल्य स्थिरीकरण निधि की स्थापना की जाए। कृषि जोखिम निधि और खाद्य गारण्टी अधिनियम बनाया जाए।
- आयोग के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का सम्प्रभु बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे।
- आयोग ने एक कृषि साख नीति की आवश्यकता को महसूस करते हुए इसके निर्माण का सुझाव दिया है, साथ ही कृषकों में साख एवं बीमा संबंधित जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया है।

परिसीमन आयोग
(Delimitation Commission)

परिसीमन का शाब्दिक अर्थ उस कार्य की प्रक्रिया से है जो विधायी निकाय वाले देश या प्रान्त में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करता है। भारत में सीमा निर्धारण का यह काम परिसीमन आयोग को सौंपा जाता है। परिसीमन आयोग एक उच्च शक्ति-प्राप्त निकाय है जिसके निर्णयों को कानून का दर्जा प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 81, 82, 170, 330, तथा 332 में परिसीमन आयोग से सम्बन्धित प्रावधान हैं। भारत में अब तक चार बार परिसीमन आयोग बनाए गए हैं- 1952, 1962, 1972 तथा 2002। केन्द्र सरकार द्वारा 12 जुलाई 2002 को सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में निर्वाचन आयुक्त श्री बी.बी. टंडन तथा सम्बद्ध राज्यों के निर्वाचन आयुक्तों को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त कर वर्तमान परिसीमन आयोग का गठन किया गया।

संरचना

- एक सदस्य, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो; इसकी नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा होगी और वह आयोग का अध्यक्ष होगा;
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा मनोनीत एक निर्वाचन आयुक्त पदेन;
- संबंधित राज्य के राज्य निर्वाचन आयुक्त, पदेन;
- चुनाव आयोग का सचिव परिसीमन आयोग के पदेन सचिव का कार्य करेगा;
- परिसीमन आयोग से संबद्ध अन्य सदस्य निम्नलिखित होंगे—प्रत्येक राज्य से संबंधित अपने कर्त्तव्यों के अनुपालन में सहयोग के लिए 10 लोगों को परिसीमन आयोग अपना संबद्ध-सदस्य बनाएगा; इन 10 लोगों मेंसे 5 वे होंगे जो उस राज्य से लोकसभा के सदस्य होंगे और 5 उस राज्य की विधानसभा के सदस्य होंगे।

आयोग के कार्य

- आयोग अपने प्रस्तावों को भारत के गजट तथा संबंधित राज्यों के ऑफिसियल गटजों में अपनी सोच के अनुसार प्रकाशित करेगा। इन प्रस्तावों के प्रकाशन में किसी भी संबद्ध सदस्य के असहमति प्रस्ताव भी, अगर कोई हो और संबंधित संबद्ध सदस्य चाहें तो, शामिल होंगे।
- यह एक तिथि निश्चित करेगा जिस तिथि को या उसके बाद उन प्रस्तावों पर आगे विचार करेगा।
- निश्चित तिथि के पूर्व में प्राप्त सभी सुझावों और आपत्तियों पर विचार करेगा और ऐसा विचार करने के लिए वह संबंधित राज्य में एक या अधिक जगहों पर जैसा वह ठीक समझेगा, पब्लिक बैठकें करेगा।
- उसके बाद एक या अधिक आदेशों द्वारा वह (1) संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और (2) प्रत्येक राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन निर्धारित करेगा।
- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का परिसीमन इस प्रकार किया जाए कि उसका सम्पूर्ण मात्र एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और यथासंभव एक ही जिले में पड़े।
- सभी निर्वाचन क्षेत्र यथासंभव, भौगोलिक रूप से सुसंबद्ध हों और उनका परिसीमन करते समय उनकी प्राकृतिक बनावट, प्रशासनिक इकाइयों की वर्तमान सीमाओं, आवागमन की सुविधा तथा जनता की सहूलियत को ध्यान में रखा जाएगा।

राष्ट्रीय न्यायिक आयोग
(National Judicial Commission)

सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाने का निर्णय लिया गया है। इस आयोग में पांच सदस्यों के मनोनयन का प्रस्ताव किया गया है, जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठ न्यायाधीश तथा केन्द्रीय कानून मंत्री इस आयोग के सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त एक सुविख्यात नागरिक को प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा सदस्य नियुक्त किया जायेगा। इस पैनल के माध्यम से ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी है।

- राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के द्वारा ही विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का फैसला किया गया है। इसके तहत संबद्ध राज्य के मुख्यमंत्री तथा मुख्य न्यायाधीश को भी पैनल में स्थान देने का विधान किया जा रहा है। इस प्रकार प्रस्तावित आयोग में केन्द्र-राज्य संबंध को भी उचित स्थान दिया गया है। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों का स्थानांतरण भी इसी आयोग के निरीक्षण में किया जायेगा।
- हालांकि आयोग के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि इस तरह के आयोग के गठन से न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है साथ ही राजनीतिक दलों में भी आम सहमति नहीं बन पा रही है।

संविधान समीक्षा आयोग

(Constitution Review Commission)

12वीं लोकसभा के निर्वाचन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी अपने चुनावी घोषणा पत्र तथा 'राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन' के चुनाव घोषणा पत्र (1999 लोकसभा चुनाव से पूर्व जारी) में संविधान में व्यापक पुनर्निरीक्षण के लिए सुझाव देने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त आयोग की नियुक्ति की घोषणा की गयी थी।

इस घोषणा के अंतर्गत 13 फरवरी, 2000 को केन्द्रीय सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम.एन. वेंकटचलैया वर्तमान में अध्यक्ष हैं।

आयोग की सिफारिशें

- **संविधान की धारा 356**—संविधान समीक्षा आयोग राष्ट्रपति शासन के प्रावधान को हटाने के विरुद्ध है, लेकिन इसमें सुधार करते हुए संसद से इसकी मंजूरी मिलने तक संबंधित राज्य की विधानसभा को भंग न करने की सिफारिश की गई है।
- **सीधी सदन में चुनाव**—आयोग ने सरकार को प्रस्ताव दिया है कि लोकसभा अथवा विधानसभा में सम्पूर्ण बहुमत के अभाव के कारण कोई पार्टी अथवा पार्टियों का कोई समूह सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हो तो उस स्थिति में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि गण सीधे ही प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री का निर्वाचन कर सके हैं।
- **रचनात्मक वोट**—आयोग ने अविश्वास के रचनात्मक वोट का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है। चुनावों के बाद लोकसभा में किसी एक पार्टी अथवा पार्टियों के चुनाव से पूर्व गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में संविधान में संशोधन की आवश्यकता के बिना ही लोकसभा की कार्यप्रणाली की प्रक्रिया एवं संचालन के नियमों में सेशोधन करने का आयोग ने सुझा दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नियमों में यह प्रावधान किया जा सकता है कि अध्यक्ष के चुनाव के साथ ही लोकसभा सदन का नेता निर्वाचित कर लें। इसमें आगे कहा गया है फिर इस तरह के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। राज्यों में भी मुख्यमंत्रियों के चुनाव के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।
- **न्यायिक सुधार**—आयोग ने न्यायिक सुधारों एवं न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना का सुझाव दिया है। अवमानना कानून में भी संशोधन की सिफारिश की गई क्योंकि वर्तमान व्यवस्था में किसी न्यायाधीश के गलत व्यवहार के पुख्ता सबूत भी कारगर साबित नहीं होते। इसी संदर्भ में आयोग की बुनियादी अधिकारों सम्बन्धी सिफारिशों को देखना चाहिए। इन अधिकारों में अभिवृद्धि के लिए न्यायालयों के निर्णयों को संविधान का अंग मानने का सुझाव देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूर बनाएगा।
- **मौलिक अधिकार**—रिपोर्ट में काम के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करने की सिफारिश की गई है। नागरिकों को वर्ष में कम से कम 80 दिन रोजगार मिलना चाहिए।
- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली**—रिपोर्ट में कहा गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दुकानों के आवंटन के मामले में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जाए। पेट्रोल पम्पों एवं गैस एजेंसियों के आवंटन में भी इनके लिये आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- **विदेशी मूल**—विदेशी मूल के बारे में संविधान समीक्षा आयोग ने राष्ट्रीय विचार-विमर्श और राजनीतिक प्रक्रिया से मुद्दे को सुलझाने को कहा है।
- **लोकपाल**—आयोग ने प्रधानमंत्री को लोकपाल की जाँच की परिधि से बाहर रखने को कहा है। इसके अलावा संविधान में लोकपाल की नियुक्ति की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया है।
- **दलों का पंजीकरण**—आयोग ने सिफारिश की है कि देश में राजनीतिक पार्टियाँ अथवा पार्टियों के गठबंधन के पंजीयन एवं कार्य पद्धति को नियमित करने के लिए कोई कानून बनाया जाए।
- **धारा 370**—संविधान समीक्षा आयोग ने न तो जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे से संबंधित 370 पर कोई सिफारिश की है और न ही समान नागरिक संहिता के सवाल पर। समान नागरिक संहिता का उल्लेख तो संविधान के अनुच्छेद 44 में है लेकिन इस सवाल पर विवाद है।
- **बहुमत का फैसला सदन में**— आयोग ने कहा है कि किसी राज्य ने बहुमत खो दिया है अथवा नहीं, इस बात का फैसला केवल विधानसभा में होना चाहिये। अगर जरूरी हो तो केन्द्र सरकार को उस राज्य की विधानसभा जिसे यह बहुमत प्राप्त हो, राज्यपाल को मंत्रिमंडल बर्खास्त करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। आयोग ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 356 में संशोधन कर यह व्यवस्था की जानी चाहिये।
- **अनिर्णीत प्रश्न**—आयोग के सदस्यों ने कुछ प्रश्नों पर कोई स्पष्ट सिफारिश नहीं की। ऐसा एक सवाल चुनाव सुधारों का है। इस सवाल पर सर्वदलीय समितियाँ भी चुनाव व्यय में सरकारी सहायता का सुझाव दे चुकी हैं। राजनीति के अपराधीकरण के बारे में भी आयोग के सुझाव समस्या की गंभीरता को देखते हुए अपर्याप्त लगते हैं। दल-बदल के संदर्भ में एक उपयोगी सुझाव संबंधित सदस्य को कोई सार्वजनिक पद नहीं देने का है।

क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils)

भारतीय संविधान में क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। क्षेत्रीय परिषदों के गठन में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 में प्रावधान किया गया है। इस धारा के अनुसार भारत में पांच परिषदों, यथा उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्री, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र तथा दक्षिणी क्षेत्र के परिषद् का गठन किया गया।

लेकिन कालांतर में नये राज्यों के निर्माण के कारण क्षेत्रीय परिषदों की संख्या 6 कर दी गयी। वर्तमान समय में भारत में 6 क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं। क्षेत्रीय परिषदों तथा उनके अंतर्गत शामिल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण निम्न प्रकार है:

1. **उत्तरी क्षेत्रीय परिषद**—जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान और चण्डीगढ़ तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (मुख्यालय—दिल्ली)
2. **मध्य क्षेत्रीय परिषद**—उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़ (मुख्यालय—इलाहाबाद)।
3. **पूर्वी क्षेत्रीय परिषद**—बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैण्ड, अरूणाचलप्रदेश तथा मिजोरम (मुख्यालय—कोलकाता)।
4. **पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद**—गुजरात, महाराष्ट्र तथा गोवा और दमन और दीव तथा दादर एवं नागर हवेली संघ क्षेत्र (मुख्यालय—मुम्बई।
5. **दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद**—आन्ध्रप्रदेश, केरल, कर्नाटक, तथा तमिलनाडु राज्य एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र (मुख्यालय— चेन्नई)।
6. **पूर्वोत्तर परिषद**—1971 में पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना की गई है जिसमें उत्तर पूर्व के राज्यों को रखा गया हैं इसमें सिक्किम को सबसे बाद में रखा गया है। इस परिषद के अंतर्गत वर्तमान में असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम व सिक्किम आते हैं (अस्थायी मुख्यालय—गुवाहाटी)।

क्षेत्रीय परिषदों का गठन

क्षेत्रीय परिषदों का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसके निम्नलिखित सदस्य होते हैं:

- भारत का गृहमंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केन्द्र सरकार का एक मंत्री।
- क्षेत्रीय परिषद के अधीन आने वाले राज्यों के मुख्यमंत्री।
- क्षेत्रीय परिषद के अधीन आने वाले प्रत्येक राज्य के राज्यपाल द्वारा नामजद दो-दो अन्य मंत्री।
- संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में प्रत्येक के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एक सदस्य।
- योजना आयोग के सदस्यगण (सलाहकार के रूप में)।
- क्षेत्रीय परिषदों में शामिल राज्यों के मुख्य सचिव (सलाहकार के रूप में)।
- प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का भारत का गृहमंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केन्द्रीय मंत्री अध्यक्ष होता है तथा संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं, जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं।

क्षेत्रीय परिषदों के कार्य

- मुख्य कार्य समान हित के विषयों पर विचार करना है।
- जनता में भावनात्मक एकता पैदा करना।
- क्षेत्रवाद तथा भाषावाद के आधार पर उत्पन्न होने वाली विघटनकारी प्रवृत्तियों को रोकना।
- केन्द्र तथा राज्यों को आर्थिक तथा सामाजिक मामलों में समान नीति बनाने के विचारों तथा अनुभवों का आदान-प्रदान करना।
- पारस्परिक विकास योजना के सफल तथा तीव्र क्रियान्वयन में सहयोग करना।
- देश के विभिन्न क्षेत्रों में एक प्रकार की राजनीतिक संतुलन की अवस्था को निर्धारित करना।
- निम्नलिखित मामलों में परामर्श देना:
    - अंतर्राज्यीय परिवहन के मामले में
    - भाषायी अल्पसंख्यकों की समस्या के मामले में
    - आर्थिक तथा सामाजिक योजनाओं के मामले में
    - दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य सीमा संबंधी विवादों के मामले में।

अंतर्राज्यीय परिषद (Interstate Council)

अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित अनुच्छेद भी गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट 1935 में से ही लिया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट 1935 में 1931 की गोलमेज कॉन्फ्रेंस तथा संवैधानिक सुधारों ने संबंधित संयुक्त समिति की 1934 की रिपोर्ट के आधार पर की गई थी। भारतीय संघीय व्यवस्था में विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद-263 में 'अंतर्राज्यीय परिषद' के गठन का प्रावधान किया गया है।

संरचना

तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जून 1990 में अंतर्राज्य परिषद की रचना की घोषणा की। इस घोषणा के अनुसार अंतर्राज्य परिषद में प्रधानमंत्री तथा उसके द्वारा मनोनीत किए गए छ: केन्द्रीय कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के अतिरिक्त इसमें सभी राज्यों और उन संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री शामिल किए जाते हैं जिनमें विधानसभा है। जिन संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभा नहीं है उनके प्रशासक तथा जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हैं उनके राज्यपाल शामिल हैं। परिषद की यह रचना सरकारिया आयोग की सिफारिश के अनुसार की गई है।

इस परिषद का एक स्थायी सचिवालय भी स्थापित किया गया है। सचिवालय के पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति ने 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जिसकी संरचना इस प्रकार है:

- प्रधानमंत्री (अध्यक्ष के रूप में)
- राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, जहाँ विधानसभाएँ हों।
- केन्द्रीय कैबिनेट के 6 मंत्री (सदस्य के रूप में)

कार्य

अंतर्राज्यीय परिषद के निम्नलिखित कार्य हैं:

- राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गये हों, उनकी जाँच करने और उन पर सलाह देने का कार्य करेगी।
- वह कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों का अनुसंधान एवं उस पर विचार-विमर्श करेगी।
- ऐसे किसी विषय के संबंध में बेहतर समन्वय के लिये नीति या कार्यों की सिफारिश करेगी। राष्ट्रपति ने उक्त शक्ति के प्रयोग में एक केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद, एक केन्द्रीय स्थानीय स्वायत्त शासन और एक परिवहन विकास परिषद की स्थापना की है। हालांकि यह परिषद कानूनी और गैरकानूनी दोनों प्रकार के मामलों से संबंधित है, किंतु इसका कार्य केवल सलाहकारी होगा।
- यह परिषद केवल सिफारिश करने वाली संस्था के तौर पर काम करती है और साधारणतया यह उन समस्याओं पर विचार-विमर्श करती है जिनका संबंध केन्द्र तथा राज्यों या राज्यों के आपसी संबंधों से है।

राष्ट्रीय एकता परिषद (National Intgration Council)

राष्ट्रीय एकता से उस बंधन का होता है जो किसी देश के लोगों को परस्पर एक.दूसरे के साथ जोड़ता है, एक प्रकार की एकीकृत समग्रता का निर्माण करता है। इस अवधारणा के कई अर्थ होते हैं। पश्चिम में इसका अर्थ एक राष्ट्रीय संस्कृति में सभी सांस्कृतिक संलक्षणों का समावेशन है। वहां सारे अल्पसंख्यक और क्षेत्रीय समूह परस्पर घुल-मिलकर राष्ट्र की मुख्यधारा का निर्माण करते हैं।

राष्ट्रीय एकता परिषद एक संविधानेत्तर निकाय है, जिसका सर्वप्रथम गठन 1962 में किया गया। 1986 में राष्ट्रीय एकता परिषद को पुनर्गठित किया गया। एक बार फिर परिषद का पुनर्गठन 2005 में किया गया।

संरचना

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली इस परिषद का समन्वयक गृहमंत्री होता है। परिषद के अन्य प्रमुख सदस्यों में केन्द्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, मान्यता प्राप्त दलों के नेता तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों के साथ-साथ मीडिया और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

परिषद के कार्य

- परिषद क्षेत्रवाद, साम्प्रदायिकता आदि समस्याओं पर विचार-विमर्श करती है।
- यह भारत में पंथनिरपेक्षता संबंधी मुद्दों पर चर्चा एवं सुझाव देती है।
- यह परिषद अपराधीकरण, नक्सलवाद आदि समस्याओं पर चर्चा करती है।
- देश में भाई-चारे की भावना के विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त सुझाव देती है।
- देश की एकता व अखण्डता को मजबूत करने के लिए विधि उपाय बताती है।
- देश की विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक समस्याओं पर विचार-विमर्श करना।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद
(National Security Council)

- राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पक्षों पर नीतिगत निर्णय लेने तथा विभिन्न क्षेत्रों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए 24 अगस्त, 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्राताप सिंह ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता और गृह, रक्षा तथा वित्त मंत्री की सदस्यता में 'राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद' का गठन किया था। परिषद की बैठक 05 अक्टूबर, 1990 को हुई। तत्पश्चात् यह परिषद 8 वर्षों तक निष्क्रिय बनी रही। परिषद के साथ 36 सदस्यों का 'राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड' भी बनाया गया था जिसमें संसद, शिक्षाविद्, सुरक्षा विशेषज्ञ तथा वैज्ञानिकों को सम्मिलित किया गया था। इस बोर्ड की कभी बैठक न हो सकी तथा पी.वी. नरसिम्हराव सरकार इसके विशाल आकार को लेकर प्रश्नचिन्ह लगाती रही।
- के.सी. पंत की अध्यक्षता में बने कार्यकारी दल की रिपोर्ट के आधार पर सन् 1998 में वाजपेयी सरकार ने 19 नवम्बर को 'राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्' को पुनर्जीवित तथा परिवर्तित स्वरूप प्रदान किया।
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता तथा गृह, रक्षा, विदेश एवं वित्त मंत्री की सदस्यता में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया गया। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भी इस परिषद का सदस्य बनाया गया।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए)
(National Investigation Agency)

केन्द्र सरकार ने आतंकवादी घटनाओं की कानूनी स्तर पर जांच के लिए 'राष्ट्रीय जांच एजेंसी' नामक एक नई जांच एजेंसी के गठन की औपचारिक अधिसूचना 10 जनवरी, 2009 को जारी की। मुंबई में 26 नवंबर, 2008 को हुए आतंकवादी हमले के बाद ऐसी आतंकी गतिविधियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए इस जांच एजेंसी का गठन किया गया है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राधा विनोद राजू नवगठित राष्ट्रीय जांच एजेंसी के प्रथम महानिदेशक नियुक्त किये गये थे।

संरचना

- राष्ट्रीय जांच एजेंसी का अधिक्षण केन्द्र सरकार में निहित है तथा इसका प्रमुख केन्द्र सरकार द्वारा महानिदेशक स्तर के अधिकारी को बनाया गया है।

कार्य एवं शक्तियाँ

- राष्ट्रीय जांच एजेंसी को देश के किसी भी हिस्से में आतंकवादी हमले की जांच का अधिकार होगा तथा देश की सम्प्रभुता व एकता से जुड़ी सभी तरह की चुनौतियां इस एजेंसी के जांच के दायरे में होगी।
- राष्ट्रीय जांच एजेंसी ऐसी घटनाओं की भी जांच करेगी जो पेचीदा अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों वाली होगी और जिनका संभावित जुड़ाव हथियारों एवं मादक द्रव्यों की तस्करी, नकली भारतीय नोट और सीमापार से होगा।
- कानून व्यवस्था राज्यों का मामला होने के बावजूद राष्ट्रीय एजेंसी को किसी भी राज्य सरकार से जांच की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
- राज्य सरकार की रिपोर्ट या अन्य स्रोतों से मिली सूचना के आधार पर केन्द्र सरकार 15 दिनों के अंदर निर्धारित करेगी कि यह अपराध अनुसूचित अपराध है अथवा नहीं। अनुसूचित अपराध होने की स्थिति में राष्ट्रीय एजेंसी जांच करने के लिए बाध्य होगी।
- राष्ट्रीय जांच एजेंसी अनुसूचित अपराध की जांच करते समय ऐसे अन्य अपराधों की भी जांच कर सकती है, जिसमें वह अभियुक्त शामिल है।
- आतंकवाद से जुड़े मामलें की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय के गठन की व्यवस्था की गई है। किसी भी अपील को तीन माह के अंदर निपटाना अनिवार्य होगा।
- विशेष न्यायालय के फैसले के विरुद्ध किसी अन्य न्यायालय में अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।
- राष्ट्रीय जांच एजेंसी सिर्फ जांच का कार्य करेगी, खूफिया जानकारी जुटाने का नहीं।

अंतर्राज्यीय नदी—जल विवाद अधिकरण (Inter-state Water Dispute Agency)

चूँकि कई नदियों का प्रवाह अंतर्राज्यीय है, अतः सिंचाई व ऊर्जा-उत्पादन हेतु उनके जल के वितरण को लेकर संबद्ध राज्यों के बीच विवाद भी आम बात है। नदी-जल की इस कभी न समाप्त होने वाली समस्या को ध्यान में रखकर ही संविधान निर्माताओं ने इससे निपटने की शक्ति एकमात्र संसद में निहित की है।

अनुच्छेद 262(2) में कहा गया है कि न तो उच्चतम न्यायालय, द्वारा ऐसे किसी भी विवाद या शिकायत में अपनी अधिकारिता का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात् ये विषय न्यायालय की अधिकार—सीमा से परे हैं। इसके अनुरूप ही संसद द्वारा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956, पारित किया गया जिसके अनुसार न्यायाधिकरण स्थापित कर उन्हें नदी विवाद से संबधित मुद्दे सौंपे जातें हैं।

इस अधिनियम के सेक्शन-2 के द्वारा न्यायाधिकरण को सौंपे गए जलविवाद के संबंध में उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता को अपवर्जित कर दिया गया है। संविधान में जल संबंधी अंतर्राज्यीय (एक ही राज्य के भीतर) मुद्‌दों को राज्य सूची में तथा जल संबंधी अंतर्राज्यीय विषय संघ सूची में रखे गए हैं।

जल-विवाद का निर्णय करने की संसदीय शक्तियां (Powers of the Parliament to Solve Water Dispute)

संविधान में अनुच्छेद 262 के अधीन अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का निर्णय करने का अधिकार संसद को दिया गया है। इस अनुच्छेद के अधीन संसद ने दो विधियां पारित की हैं जो निम्नलिखित हैं:

1. अंतर्राज्यिक जल विवाद विधि 1956; और
2. नदी बोर्ड विधि, 1956

अंतर्राज्यिक पानी विवाद विधि के अनुसार कोई भी राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार से, पानी विवाद के न्याय निर्णयन के लिए न्यायधिकरण को सौंपने की मांग कर सकती है। जब कोई राज्य ऐसी प्रार्थना करे तब केंद्रीय सरकार न्यायाधिकरण की नियुक्ति कर सकती है और इस न्यायाधिकरण निर्णय को जब भारत सरकार गजट में प्रकाशित कर देती है तब उसे सभी पक्ष मानने पर बाध्य होते हैं। नदियों तथा नदी दूनों के जल के बंटवारे से संबंधित विवादों का निर्णय करने के लिए नदी बोर्ड विधि में भिन्न व्यवस्था की गई हैं। इस विधि में यह व्यवस्था की गई है कि अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दूनों के विकास के लिए नदी बोर्ड की स्थापना की जा सकती है।

नदी बोर्ड के कार्यों नदियों के विकास पर किए जाने वाले खर्च के संबंध में यदि कोई अंतर्राज्यिक विवाद हो तो वह संबंधित पक्षों द्वारा न्यायाधिकरण को सौंपा जाएगा और न्यायाधिकरण का निर्णय सभी पक्ष मानने के लिए बाध्य होंगें।

प्रमुख तथ्य

अब तक केंद्र सरकार ने नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी तथा रावी एवं व्यास नदियों के लिये पाँच बंतराज्यीय न्यायाधिकरणों की स्थापना की है।

नर्मदा जल न्यायाधिकरण (Narmada Water Tribunal)

- इसका गठन 1969 में गुजरात की शिकायत पर किया गया था। इससे लाभान्वित होने वाले राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश राजस्थान सम्मिलित हैं।
- न्यायाधिकरण ने 1978 में पंचाट दिया तथा 1979 में अधिकृत राजपत्र, का प्रकाशन हुआ।
- यह उल्लेखनीय है कि अधिकृत राजपत्र के प्रकाशन के बिना न्यायाधिकरण के निर्णयों/ पंचाट आदि का क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता।

कृष्णा जल न्यायाधिकरण (Krishna Water Tribunal)

- इसकी स्थापना 1969 में हुई थी तथा पंचाट 1973 में दिया गया जबकि इसका अधिकृत में प्रकाशन 1976 में हुआ। इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं—कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिसा।

कृष्णा नदी जल विवाद (Krishna Water Dispute)

- कृष्णा नदी जल बंटवारे के लिए गठित न्यायाधिकरण ने 30 दिसंबर, 2010 को अपना निर्णय दिया। इसमें न्यायाधिकरण ने नदी का जल तीन राज्यों में बांट दिया है। इस नदी के जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पिछले कई वर्षों से विवाद चल रहा था।

गोदावरी जल न्यायाधिकरण (Godawari Water Dispute)

- इसकी स्थापना की पृष्ठभूमि तथा इससे लाभान्वित होने वाले राज्य नहीं है जो कृष्णा जल न्यायाधिकरण से संबंधित हैं।

कावेरी नदी जल न्यायाधिकरण

- कावेरी जल विवाद का इतिहास काफी पुराना है। इस विवाद का मुख्य कारण कर्नाटक व तमिलनाडु के मध्य हुए समझौते को ऊपरी लाभान्वित राज्य यानि कर्नाटक द्वारा भंग करना है तथा अपने हिस्से से कहीं अधिक मात्रा में इस नदी के जल संसाधन का दोहन करना है जिससे तमिलनाडु का हित दुष्प्रभावित हुआ है।
- केंद्र सरकार ने 1991 में इस न्यायाधिकरण की स्थापना की तथा इसी वर्ष के मध्य इसने अंतरिम पंचाट दिया कि तमिलनाडु को 205 टीएमसी फिट जल वार्षिक तौर पर दिया जाए।
- इस अंतरिम पंचाट को नजरअंदाज कर कर्नाटक सरकार ने जल के प्रयोग हेतु कानून बना दिया। फलतः राष्ट्रपति को इस विषय को उच्चतम न्यायालय की राय के लिये अनुच्छेद-143 के तहत सौंपना पड़ा जिसमें उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधिकरण के निर्णय को वैध करार देते हुए इसको अधिकृत गजट में प्रकाशित करने का निर्देश दिया जोकि कुछ दिनों बाद ही प्रकाशित कर दिया गया।

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) (Central Administrative Tribunal)

संविधान के अनुच्छेद 323 (क) अनुसरण में संसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 पारित किया है, जिसमें अधिकरण के गठन एवं कार्यप्रणाली के संबंध में प्रावधान किया गया है।

संरचना

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, न्यायिक सदस्यों तथा प्रशासनिक सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसे सरकार उचित समझे।

योग्यता

प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के लिए निम्न योग्यताएं आवश्यक हैं। अध्यक्ष पद पर वह व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा, जो:

1. किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, या
2. 2 वर्ष तक केंद्रीय सरकार के सचिव पद पर रहा हो,या
3. 2 वर्ष तक अधिकरण के उपाध्यक्ष पद पर रहा हो।

उपाध्यक्ष पद के लिए उपर्युक्त (क) या (ख) के अलावा यह निर्धारित है कि वह कम-से-कम 5 वर्ष तक केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त सचिव पद पर रहा हो। न्यायिक सदस्य की योग्यता के संबंध में यह निर्धारित किया गया है कि वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो अथवा केंद्रीय विधि सेवा में वर्ग प्रथम के पद पर कम-से-कम तीन वर्ष तक रहा हो।

नियुक्ति

राष्ट्रपति प्रशासनिक अधिकरण के सभी पदों पर नियुक्ति करता है। लेकिन न्यायिक सदस्य की नियुक्ति करते समय उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक है। राज्यों के अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और अन्य सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

कार्यकाल

प्रशासनिक अधिकरण के सदस्य 5 वर्ष तक या जब तक कि वह, (अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के मामले में 65 वर्ष—और व अन्य सदस्यों के मामले में 62 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते है,) अपना पद धारण करेंगे। प्रशासनिक असकरण के सदस्यगण राष्ट्रपति को लिखकर अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। उन्हे कदाचार या अक्षमता के आधार पर उच्च्तम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जांच के उपरांत हटाया जा सकता है।

राष्ट्रीय कमान प्राधिकरण (National Command Tribunal)

परमाणु सम्पन्न राष्ट्रों की राह पर चलते हुए भारत ने भी दिनांक, 2003 को प्रथम सामरिक परमाणु कमान का गठन किया। यह कमान प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है। भारत पर अथवा भारतीय सेना पर अन्यत्र कहीं भी परमाणु, रासायनिक या जैवकीय हथियारों से हमलों होने पर कमान कार्यवाही करेगी। इस कमान में एक राजनीतिक परिषद बनायी गई है, जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष, गृह, रक्षा, विदेश तथा वित्त मंत्री सदस्य बनाए गए हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में कार्यकारी परिषद भी बनाई गई है जो राजनीतिक परिषद को परामर्श देने तथा राजनीतिक परिषद के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। चीफ ऑफ स्टाफ

कमेटी कार्यकारी परिषद के माध्यम से राजनीतिक परिषद् तक सैन्य परामर्श प्रस्तुत करेगी। प्रथमतः इसके अध्यक्ष नौसेना प्रमुख बनाए गए हैं। अध्यक्ष पद बारी-बारी से तीनों सेनाओं के उच्च पदाधिकारी पद धारित करेंगे। वायु सेना प्रमुख की अध्यक्षता में रणनीतिक सेनाएँ कमान के पास परमाणु हथियार रहेंगे तथा यह सभी संबंधिततों तक सूचनाएँ देने तथा परमाणु हमला करने की कार्यवाही करेगी।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (Telecommunication Regulatory Authority of India)

एक स्वतंत्र विनियामक के तौर पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना 1997 ई. में की गई थी। इसकी स्थापना के लिए संसद द्वारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 पारित किया गया था।

वर्ष 2000 में ट्राई अधिनियम में कुछ संशोधनों द्वारा सम्पूर्ण दूर संचार नियमों ढाँचों तथा विवाद समाधान तंत्रों को मजबूत बनाया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य है, उच्चतरीय कार्य क्षेत्र और स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा के लिए पारदर्शी नीति तैयार करना और भारत में दूरसंचार व्यवसाय को विनियमित करना।

ट्राई के प्रमुख कार्य

- नई सेवा प्रदाताओं की पहचान करना और अनको प्रतिस्पर्धा में उतरना।
- सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस प्रदान करना।
- सेवा प्रदाताओं द्वारा तकनीकी विकास की गतिविधियों में सहायता प्रदान करना।
- प्रतियोगिता एवं समबर्द्धन सक्षमता हेतु मानदण्ड तय करना।
- दूरसंचार में प्रयुक्त उपकरणों की जांच-पड़ताल पर मंजूरी प्रदान करना।
- उपलब्ध स्पेक्ट्रम (फ्रीक्वेन्सी) का कुशलतापूर्वक प्रबंधन।
- दूरसंचार संबंधी विवादों का निपटारा। दूरसंचार विवाद निटापन एवं अपीलीय न्यायाधिकरण करती है।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) (National Green Tribunal)

पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के गठन की अधिसूचना 18 अक्टूबर, 2009 को जारी की गयी और संबंधित राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में दोनों सदनों ने पारित किया। 12 जून, 2010 को राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर किया गया। इसमें मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:

- इस न्यायाधिकरण को हाई कोर्ट का दर्जा दिया गया है। इसका मुख्यालय दिल्ली में होगा तथा चार अन्य क्षेत्रीय न्यायाधिकरण होंगे।
- सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पाटा को इसका प्रथम प्रमुख नियुक्त किया गया था (वर्तमान में स्वतंत्र कुमार)।
- इसे पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन पर 3 वर्ष का कारावास और 10 करोड़ का जुर्माना (कॉरपोरेट मामलों में 28 करोड़ का जुर्माना) लगाने का अधिकार होगा।
- राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण (National Environment Appellate Authority) को समाप्त कर दिया गया है इसके मामले का निदान एनजीटी में किया जाएगा। अभी तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में ही एनजीटी का गठन किया गया था, जिसमें भारत अब तीसरे देश के रूप में शामिल हो गया है।

तालिका 18.5: प्रमुख बोर्ड/परिषद

नाम	स्थापना वर्ष	प्रकृति
केंन्द्रीय रेशम बोर्ड	1949	विनियमन
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	1974	मानक निर्धारित करना
भारतीय चिकित्सा परिषद	1933	मानक निर्धारित करना
भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद	1970	वैधानिक निकाय
राष्ट्रीय सलाहकार परिषद	1989	सलाहकारी
आर्थिक सलाहकार परिषद		सलाहकारी
नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल	1966	सलाहकारी
राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद	2008	सलाहकारी
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	1964	कर निर्धारण
केद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क	1963	कर निर्धारण

तालिका 18.6: नियामक निकाय

नाम	स्थापना वर्ष	क्षेत्र
बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा)	1999	बीमा
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबा)	1992	शेयर बाजार
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग	2002	व्यापार प्रबन्धन
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई)	1997	दूरसंचार
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड	2006	पेट्रोलियम एव गैस
केन्द्रीय विद्युत नियामक बोर्ड	2003	विद्युत
परमाणु ऊर्जा नियामक आयोग	1983	परमाणु ऊर्जा
पेन्शन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण	2013	पेन्शन
हाउस रेगुलेटिरी अथॉरिटी	2013	आवास
प्रसार भारती रेगुलेटिरी अथॉरिटी		रेडियो एवं दूरदर्शन

तालिका 18.7: संस्था/आयोग/संघ

संस्था/आयोग/संघ	मुख्यालय	वर्ष	संस्था की प्रकृति/स्थिति
हरित न्याय प्राधिकरण	भोपाल	2009	न्यायिक संस्था
राष्ट्रीय न्याय अकादमी	भोपाल	1993	वैधानिक
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा)			संस्थागत
केन्द्रीय सैन्य न्याय प्राधिकरण	नई दिल्ली		न्यायिक
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	नई दिल्ली		संवैधानिक निकाय
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग			संवैधानिक निकाय
योजना आयोग	दिल्ली	1950	गैर संवैधानिक निकाय
वित्त आयोग	दिल्ली	संविधान में प्रारंभ से	अर्द्ध न्यायिक/संवैधानिक निकाय
मानवाधिकार आयोग	दिल्ली	1993	अनुसंशात्मक निकाय
राष्ट्रीय महिला आयोग	नई दिल्ली	1992	स्वायत्त वैधानिक निकाय
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग	नई दिल्ली	2007	वैधानिक निकाय
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग		1993	वैधानिक निकाय
राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग		1993	
केंद्रीय सूचना आयोग	नई दिल्ली	2005	वैधानिक निकाय
परिसीमन आयोग	नई दिल्ली	4 बार गठित	स्वायत्त निकाय
विधि आयोग	नई दिल्ली		गैर वैधानिक परामर्शी निकाय
अंतर्राज्यीय परिषद	नई दिल्ली	1990	संवैधानिक निकाय
निर्वाचन आयोग	नई दिल्ली	प्रारंभ से	प्रशासनिक सलाहकारी और अर्द्धन्यायिक
कृषि मूल्य एवं लागत आयोग		1985	परामर्शदात्री संस्था
नीति आयोग		1 जनवरी 2015	थिंक टैंक के रूप में

अध्याय सार संग्रह

- राष्ट्रीय विकास परिषद को 'सुपर कैबिनेट' की संज्ञा दी जाती है।
- राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना तथा उन्हें अंतिम स्वीकृति प्रदान करना है।
- अंतर्राज्यीय परिषद् एक संवैधानिक निकाय है। यह सहकारी संघवाद की संवैधानिक अभिव्यक्ति है।
- प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद् का पदेन अध्यक्ष होता है।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को स्वशासी तथा वैधानिक स्तर प्राप्त है एवं इसके पास वित्तीय स्वायत्तता भी है।
- वर्तमान में लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष तथा 10 सदस्यों का प्रावधान है।
- किसी राज्य लोकसेवा आयोग का कोई सदस्य एक बार सदस्यता की अवधि समाप्त हो जाने पर दोबारा उसी राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य नहीं बन सकता।
- लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में ली आयोग की संस्तुति पर किया गया था।
- लार्ड मैकाले को 'भारत में लोक सेवाओं का जनक' मान जाता है।
- लोक सेवा आयोग एक सलाहकारी निकाय है तथा इसका सिफारिशों को सरकार अस्वीकार भी कर सकती है।
- लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन को राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाता है तथा जहां उसकी सिफारिश स्वीकार नहीं की गई हैं, वहां अस्वीकृति का कारण सहित ज्ञापन संसद में रखा जाता है।
- संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की अधिकतम आयु 65 वर्ष, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की अधिकतम आयु 62 वर्ष है।